रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07012026-269177
CG-MH-E-07012026-269177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947
No. 16] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 7 जनवरी, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 2026

स्टॉक ब्रोकर्स और क्लीयरिंग मेम्बर्स (समाशोधन सदस्यों) को रजिस्टर किए जाने से संबंधित विनियामक (रेग्यूलेटरी) प्रावधानों को समेकित करने और उनके कामकाज से जुड़े व दूसरे दायित्व एवं जिम्मेदारियाँ तय करने तथा इनसे जुड़े मामलों के संबंध में प्रावधान करने हेतु विनियम

फा. सं. सेबी/एलएडी-एन/आरओ/जीएन/2026/291.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) [1992 का 15] की धारा 11(2) तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

अध्याय – I
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ कुछ और न हो तब तक: —

(क) "अधिनियम" का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) [1992 का 15];

(ख) "प्रमाणपत्र" का अर्थ है – बोर्ड द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट);

(ग) "नियंत्रण में परिवर्तन" –

(i) का अर्थ उस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] के विनियम 2(1)(ङ) में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा, जिसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(27) में दी हुई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा, जिसके शेयर किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों;

(ii) कंपनी (बॉडी कारपोरेट) से भिन्न किसी और के मामले में, तब माना जाएगा, जब या तो कानूनी तौर पर उसका गठन जिस रूप में हुआ हो उसमें या मालिकाना हक (ओनरशिप) में कोई बदलाव हो जाए या फिर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट (नियंत्रक हित) में कोई बदलाव हो जाए।

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के सिलसिले में, शब्दों "कंट्रोलिंग इंटरेस्ट (नियंत्रक हित) का अर्थ है - कम से कम पचास प्रतिशत तक के मताधिकार या हित (इंटरेस्ट) [फिर चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से];

(घ) "क्लीयरिंग कारपोरेशन" (समाशोधन निगम) का वही अर्थ होगा, जैसी परिभाषा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के विनियम 2(1)(घ) में दी हुई है;

(ङ) "क्लीयरिंग मेम्बर" (समाशोधन सदस्य) का अर्थ है - वह व्यक्ति, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त क्लीयरिंग कारपोरेशन में क्लीयरिंग (समाशोधन) और सेटलमेंट (निपटान) कराने के अधिकार हों;

(च) "नामित निदेशक" (डेज़िग्नेटेड डाइरेक्टर) का अर्थ है - वह व्यक्ति, जिसे स्टॉक ब्रोकर या क्लीयरिंग मेम्बर द्वारा इस रूप में नामित किया गया हो, और जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं -

(i) यदि एंटिटी एक कंपनी हो, तो उसका प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर), जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया हो;

(ii) यदि एंटिटी एक पार्टनरशिप फर्म (भागीदारी फर्म) हो तो उसका मैनेजिंग पार्टनर, और यदि एंटिटी एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (सीमित दायित्व भागीदारी) हो तो उसका डेज़िग्नेटेड पार्टनर;

(iii) यदि एंटिटी एक प्रोपराइटरशिप कंसर्न हो, तो उसका प्रोप्राइटर; और

(iv) यदि स्टॉक ब्रोकर या क्लीयरिंग मेंबर ऊपर दी हुई किसी भी श्रेणी में न आता हो, तो ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति या वर्ग के व्यक्ति, जिनके बारे में बोर्ड बताए;

(छ) "केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म" (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म) का अर्थ है - ऐसा कोई डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम के डाइरेक्ट प्लान में पैसा लगाया जा सकता हो (सब्स्क्रिप्शन किया जा सकता हो), उससे पैसा निकाला जा सकता हो (रिडेंप्शन किया जा सकता हो) और एक स्कीम से पैसा निकालकर दूसरी स्कीम में लगाया जा सकता (स्विच किया जा सकता) हो;

(ज) "फॉर्म" का अर्थ है - बोर्ड या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया गया फॉर्म;

(झ) "धोखाधड़ी" (कपट / कपटपूर्ण) का वही अर्थ है, जैसी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध] विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] में इसके लिए दी हुई है;

(ञ) "निरीक्षण प्राधिकारी" का अर्थ है - वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, जिन्हें बोर्ड द्वारा अध्याय-V के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

(ट) "इश्यू" (निर्गम) का वही अर्थ है, जैसी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 [सेबी (मर्चेंट बैंकर्स) रेग्यूलेशन्स, 1992] में इसके लिए दी हुई है;

(ठ) "बाजार के गलत इस्तेमाल" का अर्थ है - धोखाधड़ी करने के इरादे से, हेराफेरी करने के इरादे से और अनुचित तरीके से ट्रेडिंग करना [जिसमें 'गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खाते' (म्यूल अकाउंट) के जरिए ट्रेडिंग करना भी शामिल है], और जिसकी वजह से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध] विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्युलेशन्स, 2015] या अधिनियम (एक्ट) की धारा 12क के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता हो;

(ड) "गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खाते" (म्यूल अकाउंट) का वही अर्थ होगा, जैसी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध] विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] में इसके लिए दी हुई है;

(ढ) "प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर" का अर्थ है - वह क्लीयरिंग मेम्बर, जिसे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के उसी सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के अधिकार न हों, जिसके लिए वह क्लीयरिंग मेम्बर का काम कर रहा हो;

(ण) "अपने लिए की जाने वाली ट्रेडिंग" (प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग) का अर्थ है - स्टॉक ब्रोकर द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी सेगमेंट में अपने लिए की जाने वाली ट्रेडिंग;

(त) "प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेम्बर" का अर्थ है - वह स्टॉक ब्रोकर, जो केवल अपने लिए ही ट्रेडिंग करता हो;

(थ) "बड़े स्टॉक ब्रोकर" (क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर) का अर्थ है - वह स्टॉक ब्रोकर, जिसे विनियम 19 के तहत इस रूप में नामित किया गया हो;

(द) "रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स" का अर्थ है - ऐसा लाइव टेस्टिंग एनवायरमेंट, जहाँ, सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में इनोवेशन लाने के लिए, निर्धारित समयावधि हेतु कुछ पात्र ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स (उत्पाद), नई प्रक्रियाएँ (प्रोसेसेज़), नई सेवाएँ (सर्विसेज़), नए बिज़नेस मॉडल, आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे;

(ध) "प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम" [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट] का अर्थ है - प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42);

(न) "सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर" का अर्थ है - वह क्लीयरिंग मेंबर (समाशोधन सदस्य), जो अपने लिए किए गए ट्रेड को भी सेटल करे या अपने ग्राहकों के लिए किए गए ट्रेड को भी;

(प) "वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" का वही अर्थ है, जैसी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी

(लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] में इसके लिए दी हुई है;

(फ) "निर्धारित" या "बताया गया" या "बताए गए" या "बताया जाए" या "बताए" या "बताई गई" या "कहा गया" या "कहे जाएँ" का अर्थ है - वह जो बोर्ड द्वारा या बोर्ड के परामर्श से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताया जाए, जब तक कि कुछ और जिक्र न किया गया हो;

(ब) "स्टॉक ब्रोकर" का अर्थ है - वह व्यक्ति, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के अधिकार हों, और जिसमें ट्रेडिंग मेंबर भी शामिल है;

(भ) "संदिग्ध गतिविधि" का अर्थ है - केवाईसी के सिलसिले में कोई धोखाधड़ी करना या फिर ऑर्डर डाले जाने के सिलसिले में कोई धोखाधड़ी करना या फिर ट्रेडिंग के संबंध में कोई धोखाधड़ी करना;

(म) अंडरराइटर (हामीदार) का अर्थ है - वह व्यक्ति, जो कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) के इश्यू की अंडरराइटिंग करने का कारोबार कर रहा हो;

(य) अंडरराइटिंग (हामीदारी) का अर्थ है - शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) का जो इश्यू या ऑफर फॉर सेल (विक्रय के लिए प्रस्ताव) लाया गया हो, उसके जितने हिस्से में पैसा न लगाया गया (सब्स्क्रिप्शन न हुआ) हो, उतने हिस्से में पैसा लगाने (सब्स्क्राइब करने) या उसके लिए पैसा जुटाने हेतु किया गया एग्रीमेंट (करार)।

(2) इन विनियमों (रेग्यूलेशन) में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किंतु अधिनियम (एक्ट), कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996) अथवा उनके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या उनमें किए गए किसी कानूनी संशोधन आदि में उनके लिए दिए हुए हैं।

क्लीयरिंग मेम्बर पर प्रावधानों का लागू होना और कुछ स्पष्टीकरण

3. (1) जो स्टॉक ब्रोकर बोर्ड से रजिस्टर हो, उसे क्लीयरिंग कारपोरेशन के किसी भी सेगमेंट में क्लीयरिंग मेम्बर का काम करने के लिए अलग से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए उसे उस क्लीयरिंग कारपोरेशन की मंजूरी लेनी होगी।

(2) जो क्लीयरिंग मेम्बर बोर्ड से रजिस्टर हो, उसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर का काम करने के लिए अलग से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए उसे उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी लेनी होगी।

(3) जो व्यक्ति लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन के यहाँ पार्टिसिपेंट (सहभागी) के रूप में रजिस्टर हो, उसे ट्राई-पार्टी रेपो सेगमेंट में कारपोरेट बॉण्ड में किए गए प्रोप्राइटरी ट्रेड के सिलसिले में पार्टिसिपेट करने हेतु क्लीयरिंग मेम्बर के तौर पर अलग से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं होगी।

स्पष्टीकरण – इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के सिलसिले में, "पार्टिसिपेंट" (सहभागी) का अर्थ है - ऐसा कोई व्यक्ति, जो पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 [रीपर्चेज़ ट्रांज़ेक्शन्स (रेपो) (रिज़र्व बैंक) डाइरेक्शन्स, 2018] के प्रावधानों के अनुसार एक पात्र एंटिटी हो।

(4) इन विनियमों के अध्याय-II, अध्याय-III, अध्याय-V, अध्याय-VI और अध्याय-VIII के प्रावधान [विनियम 13, विनियम 14, विनियम 15(5) और विनियम 19 में निर्धारित प्रावधानों को छोड़कर], जरूरी बदलावों के साथ, क्लीयरिंग मेम्बर पर लागू होंगे, और जहाँ कहीं भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र आया हो वहाँ यह समझा जाएगा कि क्लीयरिंग कारपोरेशन की बात हो रही है।

अध्याय - II
स्टॉक ब्रोकर को रजिस्टर करना

रजिस्टर होने के लिए आवेदन

4. (1) जो व्यक्ति स्टॉक ब्रोकर का काम करना चाहता हो, उसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बोर्ड के पास एक आवेदन (चाहे ऑनलाइन किया जाए या किसी दूसरे तरीके से) प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ अध्याय-IX में बताई गई आवेदन फीस भी जमा करानी होगी ।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह जाँच-पड़ताल करेगा कि आवेदक संबंधित अधिनियमों, विनियमों (जिनमें ये विनियम भी शामिल हैं) और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियमों व उप-विधियों (बाय-लॉज़) के अनुसार पात्र है या नहीं ।

(3) जाँच-पड़ताल करने के बाद, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से वह आवेदन अपनी सिफारिश के साथ भिजवाएगा, और वह आवेदन (जो हर तरह से पूरा हो) जिस तारीख को प्राप्त हो उस तारीख से तीस दिनों के भीतर (बोर्ड द्वारा बताई गई आवेदन फीस के साथ) भिजवाना होगा ।

(4) बोर्ड से रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर, किसी भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी सेगमेंट में कामकाज (ऑपरेट) कर सकेगा, लेकिन इसके लिए उसे उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी लेनी होगी ।

जानकारी प्रस्तुत करना और स्पष्टीकरण देना

5. बोर्ड, प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए गए आवेदन पर विचार करने के सिलसिले में, आवेदक या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा और आवेदक या उसके नामित निदेशक (डेज़िग्नेटेड डाइरेक्टर) को कोई जानकारी प्रस्ततु करने या स्पष्टीकरण देने के लिए बोर्ड के सामने हाजिर होने के लिए कह सकेगा ।

प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु किए गए आवेदन पर विचार

6. (1) बोर्ड प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के सिलसिले में उस हर बात पर गौर करेगा, जो भी उसे जरूरी लगे ।

(2) बोर्ड खासकर यह देखेगा कि क्या -

(क) आवेदक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का मेम्बर बनने के लिए पात्र है;

(ख) आवेदक के पास सही ढंग से कार्य आदि करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर) हैं, जैसे कि कार्यालय हेतु पर्याप्त स्थान, पर्याप्त उपकरण और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी आदि;

(ग) आवेदक के पास शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) में ट्रेडिंग या डीलिंग (लेनदेन) करने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव है;

(घ) स्टॉक ब्रोकर होने के नाते आवेदक के खिलाफ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और उप-विधियों (बाय-लॉज़) के तहत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ की गई हैं, जो या तो उसके खुद के खिलाफ या फिर उसके किसी पार्टनर (भागीदार), उसके किसी निदेशक, उसके वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति, उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनेल) में से किसी व्यक्ति या उसके किसी कर्मचारी के खिलाफ की गई हों;

(ङ) स्टॉक ब्रोकर के कारोबार के सिलसिले में आवेदक के खिलाफ सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है, जो या तो उसके खुद के खिलाफ या फिर उसके किसी पार्टनर (भागीदार), उसके किसी निदेशक, उसके वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति, उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनेल) में से किसी व्यक्ति या उसके किसी कर्मचारी के खिलाफ की गई हो;

(च) आवेदक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-II में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है;

(छ) अधिनियम (एक्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन) के अनुसार आवेदक की पैसों की कोई देनदारी बनती है;

(ज) आवेदक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) से संबंधित प्रमाणपत्र या कोई दूसरा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है (जो भी प्राप्त करने को कहा गया हो);

(झ) आवेदक की उतनी नेटवर्थ है और उसकी उतनी जमाराशि (डिपॉज़िट) है, जितनी कम से कम होनी चाहिए; और

(ञ) आवेदक के यहाँ कम से कम एक नामित निदेशक (डेज़िग्नेटेड डाइरेक्टर) ऐसा है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक सौ बयासी दिनों की कुल अवधि के लिए भारत में ही रहता हो।

(3) मौजूदा स्टॉक ब्रोकर को विनियम 6(2)(ञ) में निर्धारित प्रावधान का पालन, इन विनियमों के अधिसूचित होने की तारीख से छह महीनों के भीतर, करना होगा।

प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना

7. (1) बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि आवेदक ने विनियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन कर लिया है, स्टॉक ब्रोकर को प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, लेकिन इसके लिए उसे उन शर्तों का पालन करना होगा जो बोर्ड ठीक समझे।

(2) बोर्ड इस संबंध में उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को सूचना भेजेगा, जिसका आवेदक मेम्बर हो।

प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किए जाने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

8. (1) बोर्ड आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार कर सकेगा, और इस प्रकार इनकार किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर आवेदक को और संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी देगा और इनकार किए जाने के कारण भी बताएगा।

(2) आवेदक, उपरोक्त जानकारी मिलने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार किए जाने के निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए बोर्ड के पास आवेदन कर सकेगा।

(3) बोर्ड इस प्रकार किए गए आवेदन पर फिर से विचार करेगा और इस संबंध में अपना निर्णय जल्द से जल्द आवेदक को और संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को लिखित में सूचित करेगा।

फीस का भुगतान

9. (1) स्टॉक ब्रोकर के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु पात्र प्रत्येक आवेदक उतनी फीस उसी प्रकार अदा करेगा, जैसा अध्याय-IX में बताया गया है।

(2) बोर्ड स्टॉक ब्रोकर को वह फीस अदा करने के लिए और छह महीनों का समय दे सकेगा, बशर्ते कि इस संबंध में स्टॉक ब्रोकर द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाएँ।

प्रमाणपत्र की शर्तें

10. विनियम 7 के तहत प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया जाएगा कि-

(क) स्टॉक ब्रोकर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का मेम्बर हो;

(ख) स्टॉक ब्रोकर उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के उन नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन) और उप-विधियों (बाय-लॉज़) का पालन करेगा, जिनका पालन करना उसके लिए स्टॉक ब्रोकर की हैसियत से किए जाने वाले कार्यों आदि के सिलसिले में जरूरी हो;

(ग) स्टॉक ब्रोकर नियंत्रण (कंट्रोल) में परिवर्तन होने के मामले में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आवेदन प्रस्तुत करके बोर्ड से पूर्व-मंजूरी उसी तरह प्राप्त करेगा, जैसा बताया जाए;

(घ) स्टॉक ब्रोकर बोर्ड के पास फीस उसी तरह जमा करवाएगा, जैसा इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में बताया गया है;

(ङ) स्टॉक ब्रोकर, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस कैलेंडर दिनों के भीतर, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा;

(च) स्टॉक ब्रोकर अध्याय-VIII में निर्धारित की गई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करेगा;

(छ) स्टॉक ब्रोकर की नेटवर्थ हमेशा कम से कम उतनी रहे, जितनी नेटवर्थ अध्याय-X में बताई गई है;

(ज) यदि रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई बड़ा बदलाव हो जाए, तो ऐसे में स्टॉक ब्रोकर बोर्ड को, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, सूचित करे।

स्पष्टीकरण: इस विनियम (रेग्यूलेशन) के सिलसिले में, 'बड़े बदलाव' में शामिल हैं:

i. नियंत्रण (कंट्रोल) में परिवर्तन होना;

ii. नामित निदेशक (डेज़िग्नेटेड डाइरेक्टर), प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनेल) या अनुपालन अधिकारी (कंपलायन्स ऑफिसर) में बदलाव होना;

iii. नाम में बदलाव होना;

iv. पंजीकृत कार्यालय के पते में बदलाव होना;

v. स्टॉक ब्रोकर जिस रूप में बना हो, उसमें कोई बदलाव होना;

vi. कम से कम जितनी नेटवर्थ होनी जरूरी है, यदि नेटवर्थ उससे कम हो जाए;

vii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] की अनुसूची-II में निर्धारित मानदंडों के अनुसार यदि कोई 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' न रहे; और

viii. कोई दूसरे बदलाव (जिनके बारे में बताया जाए) होना।

प्रमाणपत्र वापस सौंपना (सरंडर करना)

11. जो स्टॉक ब्रोकर के तौर पर अपना कार्य छोड़ना चाहता हो, वह इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत प्रदान किया गया प्रमाणपत्र वापस सौंपने के लिए बोर्ड के पास आवेदन करेगा, और यह आवेदन उसी तरह से किया जाएगा और उन शर्तों के तहत किया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

दूसरे अनुमत कार्य आदि

12. (1) स्टॉक ब्रोकर वित्तीय क्षेत्र के किसी दूसरे विनियामक (रेग्यूलेटर) या किसी दूसरे प्राधिकरण (अथॉरिटी) [जिसके बारे में बताया जाए] के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाला कोई कार्य आदि उसी तरह से कर सकेगा, जैसा बोर्ड बताए।

(2) ऐसा कार्य आदि वित्तीय क्षेत्र के उस विनियामक (रेग्यूलेटर) या प्राधिकरण (अथॉरिटी) के दायरे में आएगा।

स्पष्टीकरण: इन विनियम के सिलसिले में, शब्दों "वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलेटर)" का अर्थ है - वह प्राधिकरण या बॉडी (निकाय), जिसे वित्तीय क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं या किए जाने वाले लेनदेन (ट्रांजेक्शन) को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए, उस समय लागू किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत, बनाया गया हो, और जिसमें शामिल हैं – भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, या ऐसा कोई दूसरा प्राधिकरण जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए।

छोटी-मोटी सलाह

13. स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों को ऐसी छोटी-मोटी सलाह दे सकेगा, जिसके आधार पर वे शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) खरीदने, बेचने या अपने पास रखने का फैसला ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 [सेबी (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स) रेग्यूलेशन्स, 2013] के अध्याय-III के प्रावधानों का पालन करना होगा।

अंडरराइटिंग (हामीदारी) का कार्य आदि करना

14. (1) स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटर के तौर पर कार्य आदि करने के लिए पात्र होगा।

(2) स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटिंग केवल अपनी नेटवर्थ / अपने पैसों (जैसा बताया जाए) से ही कर सकेगा।

(3) अंडरराइटर के तौर पर कार्य आदि करने वाले प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर को नीचे बताई गई जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी-

(क) वह इश्यू (निर्गम) की अंडरराइटिंग करने की एवज में, कमीशन या ब्रोकरेज की रकम [जो अंडरराइटिंग हेतु किए गए एग्रीमेंट (करार) के अनुसार तय की गई हो] को छोड़कर, न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई दूसरा फायदा लेगा;

(ख) सभी एग्रीमेंटों के तहत जितनी रकम की अंडरराइटिंग करने का जिम्मा लिया गया हो, वह नेटवर्थ के बीस गुना से ज्यादा न हो;

(ग) अंडरराइटर के तौर पर कार्य आदि करने वाला प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर, किसी एग्रीमेंट के तहत किसी कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) में पैसा लगाने (सब्सक्राइब करने) के लिए कहे जाने पर, उस कंपनी की ओर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर, उन शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) में पैसा लगाएगा;

(घ) वह प्रत्येक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) [जिसके लिए वह अंडरराइटर के तौर पर कार्य आदि कर रहा हो] के साथ एक एग्रीमेंट (जो मान्य हो) करेगा, और उस एग्रीमेंट में नीचे बताई गई बातों का भी जिक्र हो, यानि कि -

i. वह एग्रीमेंट कितनी अवधि तक लागू रहेगा;

ii. अंडरराइटर और ग्राहक के क्या-क्या कर्तव्य होंगे और उनकी क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होंगी;

iii. कितनी रकम की अंडरराइटिंग करने का वादा किया गया है;

iv. जितनी अवधि के भीतर अंडरराइटर को उस कंपनी (बॉडी कारपोरेट) से या उसकी ओर से सूचना प्राप्त होने के बाद इश्यू में पैसा लगाना होगा;

v. अंडरराइटर को कितनी कमीशन या ब्रोकरेज दी जाएगी; और

vi. अंडरराइटर द्वारा जितनी रकम की अंडरराइटिंग करने का वादा किया गया है, उसे पूरा करने के लिए उसके द्वारा क्या इंतजाम (यदि कोई हों) किए गए हैं।

(4) अंडरराइटर के तौर पर कार्य आदि करने वाले स्टॉक ब्रोकर उन कार्यों आदि के संबंध में अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन) में दिए हुए प्रावधानों का पालन करेगा।

अध्याय - III
दायित्व और जिम्मेदारियाँ

बही-खाते (लेखा-बहियाँ), रिकॉर्ड आदि सही तरह से रखना

15. (1) प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर निम्नलिखित बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज संभालकर रखेगा (कागज़ी रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में) -

(क) लेनदेन का रजिस्टर (सौदा बुक);

(ख) क्लाइंट लैजर;

(ग) जनरल लैजर;

(घ) जर्नल;

(ङ) कैश बुक (रोकड़ बही);

(च) बैंक की पास बुक या बैंक बुक या बैंक स्टेटमेंट;

(छ) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) का रजिस्टर; और खाता विवरण (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट) तथा दूसरे रिकॉर्ड [जो डीमैट शेयरों आदि के संबंध में डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स (निक्षेपागार सहभागियों) द्वारा प्रदान किए गए और जिनमें शेयर आदि जमा होने और उनके डिलीवर होने के ब्यौरे दिए गए हों];

(ज) ग्राहकों को जारी किए गए कॉण्ट्रैक्ट नोट की प्रति;

(झ) प्रिंसिपल के तौर पर किए गए कॉण्ट्रैक्ट्स के सिलसिले में ग्राहकों की लिखित सहमति;

(ञ) मार्जिन डिपॉज़िट बुक या मार्जिन लैजर या कोलेट्रल लैजर; और

(ट) ग्राहक द्वारा खाता खोलने के लिए भरे गए फॉर्म (यथा निर्धारित फॉर्मेट में)।

(2) "केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म" (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म) सेगमेंट का स्टॉक ब्रोकर वे बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज संभालकर रखेगा (कागज़ी रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में) जो भी रखने को कहे जाएँ।

(3) प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जिसका वह मेम्बर हो) को यह बताएगा कि वह बही-खाते, रिकॉर्ड और दस्तावेज कहाँ संभालकर रखेगा।

(4) प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जिसका वह मेम्बर हो) को, प्रत्येक लेखा-अवधि (अकाउंटिंग पीरियड) समाप्त होने के बाद छह महीनों की अवधि के भीतर या जितनी अवधि निर्धारित की जाए उतनी अवधि के भीतर, ऑडिटेड बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट (लाभ-हानि खाते) की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(5) अंडरराइटर के तौर पर कार्य आदि करने वाला प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर नीचे बताए गए दस्तावेज और रिकॉर्ड भी संभालकर रखेगा -

(क) सभी एग्रीमेंटों के ब्यौरे;

(ख) एग्रीमेंट के अनुसार प्रत्येक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) में कुल कितना पैसा लगाया गया;

(ग) यदि स्टॉक ब्रोकर एक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) हो, तो प्रत्येक लेखा-अवधि (अकाउंटिंग पीरियड) के अंत तक की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट (लाभ-हानि खाते) की प्रति और उस अवधि के खातों (अकाउंट्स) के संबंध में ऑडिटर की रिपोर्ट की प्रति;

(घ) यदि स्टॉक ब्रोकर कंपनी (बॉडी कारपोरेट) न हो, तो प्राप्त हुई और खर्च की गई समस्त रकम का रिकॉर्ड, और यह जानकारी कि रकम कहाँ-कहाँ से आई और कहाँ-कहाँ खर्च की गई और साथ ही असेट्स तथा लायबिलिटीज़ का स्टेटमेंट; और

(ङ) ऐसे दूसरे रिकॉर्ड, जो अंडरराइटिंग के लिहाज से संभालकर रखने को कहे जाएँ।

कितनी अवधि तक बही-खाते और रिकॉर्ड संभालकर रखने होंगे

16. प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर विनियम 15 के अनुसार रखे जाने वाले बही-खाते और दूसरे रिकॉर्ड कम से कम आठ वर्षों की अवधि तक संभालकर रखेगा।

अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) की नियुक्ति

17. (1) प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर एक अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) नियुक्त करेगा, जो -

(क) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] अथवा उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) और साथ ही, यथास्थिति, बोर्ड या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाई गई उप-विधियों (बाय-लॉज़), जारी की गई अधिसूचनाओं, जारी किए गए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स), जारी किए गए अनुदेशों, आदि के पालन पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा; और

(ख) निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) यदि अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) की नज़र में ऐसा कोई मामला आए कि कहीं किसी प्रावधान का पालन नहीं हुआ है, तो वह उसकी रिपोर्ट मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत और स्वतंत्र रूप से देगा।

स्टॉक ब्रोकर के दूसरे दायित्व और जिम्मेदारियाँ

18. (1) स्टॉक ब्रोकर उप-विनियम (2) से (11) में बताए गए दायित्व और जिम्मेदारियाँ उसी तरह से निभाएगा, जैसा बताया गया है।

ग्राहकों के फंडों और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को सुरक्षित रखना

(2) स्टॉक ब्रोकर -

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के फंड हमेशा उपलब्ध रहें, जैसा बताया जाए;

(ख) ग्राहक के कोलेट्रेल अलग-अलग रखे जाने और ग्राहकों के फंड आगे जमा करवाए जाने (अपस्ट्रीमिंग) के सिलसिले में निर्धारित किए गए प्रावधानों का पालन करेगा; और

(ग) एक ग्राहक द्वारा जमा कराए गए पैसों और शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को अपने खुद के खाते से या फिर किसी दूसरे ग्राहक के खाते से अलग रखेगा, और उनका इस्तेमाल न तो अपने लिए करेगा, न ही किसी दूसरे ग्राहक के लिए करेगा और न ही, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), परिपत्रों (सर्कुलर्स) और दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), उप-विधियों (बाय-लॉज़) और परिपत्रों (सर्कुलर्स) में बताए गए उद्देश्यों को छोड़कर किसी दूसरे उद्देश्य से करेगा।

जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था

(3) स्टॉक ब्रोकर के यहाँ जोखिमों से निपटने के लिए एक मजबूत व व्यापक व्यवस्था हो और साथ ही आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्थाएँ हों, ताकि ग्राहकों के हितों या उनके असेट्स को सुरक्षित रखा जा सके और साथ ही जोखिमों से सही तरीके से निपटना भी सुनिश्चित किया जा सके।

(4) स्टॉक ब्रोकर:

(क) ऑडिट के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधानों आदि का पालन भी करेगा;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 और उसके तहत जारी किए गए किन्हीं परिपत्रों (परिपत्रों) या दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) का भी पालन करेगा; और

(ग) ग्राहक से संबंधित समस्त ब्यौरे भी गोपनीय रखेगा, और उन ब्यौरों की जानकारी तब किसी किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा जब तक किन्हीं कानूनी प्रावधानों, नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत ऐसा करना जरूरी न हो या फिर जब तक ग्राहक इसके लिए लिखित रूप में सहमति न दे दे।

साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने की क्षमता

(5) स्टॉक ब्रोकर के यहाँ साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने के संबंध में वैसी ही कारगर व्यवस्था हो, जैसा बताया जाए।

शिकायत निवारण व्यवस्था

(6) स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि वह सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स), विवाद सुलझाने की ऑनलाइन व्यवस्था संबंधी पोर्टल या ऐसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म से हमेशा जुड़ा रहे, जैसा बताया जाए।

विज्ञापन संहिता (कोड)

(7) स्टॉक ब्रोकर निर्धारित की गई विज्ञापन संहिता का पालन करेगा।

किसी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी को कार्य सौंपना (आउटसोर्सिंग)

(8) स्टॉक ब्रोकर किसी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी को अपना कोई कार्य सौंपे जाने (आउटसिोर्सिंग) के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

पालन करना

(9) स्टॉक ब्रोकर अधिनियम, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), जारी की गई अधिसूचनाओं, जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) और दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के साथ-साथ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), बाय-लॉज़ (उप-विधियों), अधिसूचनाओं, परिपत्रों (सर्कुलर्स) और दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) में दिए हुए उन समस्त प्रावधानों का पालन करेगा, जो स्टॉक ब्रोकर होने के नाते उस पर लागू हों ।

निवेशक चार्टर

(10) स्टॉक ब्रोकर निर्धारित किए गए निवेशक चार्टर का पालन सुनिश्चित करेगा।

ऑर्डर पूरे करवाना

(11) स्टॉक ब्रोकर शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) खरीदने और बेचने के लिए ग्राहकों की तरफ से डाले गए ऑर्डर वाजिब बाजार भाव पर ईमानदारी से पूरे करवाएगा ।

बड़े (क्वालिफाइड) स्टॉक ब्रोकर को और क्या-क्या दायित्व व जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी

19. (1) बोर्ड किसी स्टॉक ब्रोकर को, उसके कामकाज के दायरे और निवेशकों तथा सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) के प्रति उसकी अहमियत के मद्देनज़र, निम्नलिखित निर्धारित मापदंडों आदि के आधार पर पूरी तरह से सोच-विचार करके बड़े (क्वालिफाइड) स्टॉक ब्रोकर के रूप में नामित कर सकेगा-

(क) नियमित रूप से ट्रेड करने वाले ग्राहकों की कुल संख्या के आधार पर;

(ख) स्टॉक ब्रोकर के पास ग्राहकों के कुल कितने असेट्स हैं इसके आधार पर;

(ग) स्टॉक ब्रोकर के जरिए कितनी ट्रेडिंग होती है (उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है) इसके आधार पर;

(घ) दिन के अंत में स्टॉक ब्रोकर के सभी ग्राहकों की मार्जिन के संबंध में देनदारी कितनी बनती है इसके आधार पर; और

(ङ) स्टॉक ब्रोकर अपने लिए कितनी ट्रेडिंग करता है (उसका प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है) इसके आधार पर ।

(2) विनियम 18 में बताए गए दायित्वों के अलावा, उनके अलावा बड़े (क्वालिफाइड) स्टॉक ब्रोकर के रूप में नामित किए गए स्टॉक ब्रोकर को कुछ और दायित्व व जिम्मेदारियाँ भी निभानी होंगी (जैसा बताया जाए), ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके यहाँ –

(क) संचालन (गवर्नेंस) की उपयुक्त व्यवस्था और प्रक्रियाएँ हों;

(ख) जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) के संबंध में उपयुक्त नीति और प्रक्रियाएँ हों;

(ग) पर्याप्त क्षमता वाला बुनियादी ढाँचा हो और पर्याप्त तकनीक हो;

(घ) सुव्यवस्थित तरीके से बंद करने (वाइंडिंग डाउन करने) की व्यवस्था (का ढाँचा) हो;

(ङ) साइबर सुरक्षा के लिहाज से मजबूत ढाँचा और प्रक्रियाएँ हों; और

(च) निवेशक सेवाओं की उपयुक्त व्यवस्था हो, जिसमें शिकायत निवारण की ऑनलाइन व्यवस्था भी शामिल है ।

स्टॉक ब्रोकर पर किस तरह के कार्य आदि करने की पाबंदी है

20. कोई स्टॉक ब्रोकर -

(क) ऐसे कोई भी कार्य आदि नहीं करेगा या उन स्कीमों से नहीं जुड़ेगा, जिनके तहत यह बताया जाता हो कि मुनाफे आदि मौटे तौर पर कितने होंगे या मुनाफे आदि होने की गारंटी दी जाती हो या तय मुनाफे आदि होने की बात कही जाती हो या समय-समय पर मुनाफे आदि होने की बात की जाती हो, जिनके संबंध में, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए

विनियमों (रेग्यूलेशन्स), जारी किए गए बाय-लॉज़ (उप-विधियों), जारी की गई अधिसूचनाओं और जारी किए गए परिपत्रों (सर्कुलर्स) के प्रावधानों के तहत अनुमति भी न हो;

(ख) अनधिकृत तरीके से सामूहिक निवेश स्कीमें (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीमें / सी.आई.एस.) नहीं चलाएगा या पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़) नहीं देगा;

(ग) ऐसा कोई कार्य आदि नहीं करेगा, जिसकी अनुमति प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957] के नियम 8(1)(च) या नियम 8(3)(च) के तहत न दी गई हो; और

(घ) अपने ग्राहकों से न तो सीधे-सीधे नकद में कोई रकम लेगा और न ही अपने बैंक खाते में नकद रकम जमा करवाकर लेगा।

अध्याय - IV

बाजार में होने वाली धोखाधड़ी या बाजार के गलत इस्तेमाल का पता लगाने और उसे रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था

ट्रेडिंग से जुड़े कामकाज पर नज़र रखने हेतु व्यवस्थाएँ और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाएँ

21. स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग से जुड़े कामकाज पर नज़र रखने हेतु और आंतरिक नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएँ करेगा, ताकि विनियमों (रेग्यूलेशन) आदि में जो भी प्रावधान निर्धारित किए जाएँ उन समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके; और इस तरह से उसके ग्राहकों, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनल), कर्मचारियों या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा यदि कोई धोखाधड़ी करने या बाजार का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, तो उसका पहले ही पता लगाया जा सके, उसे रोका जा सके और ऐसे मामलों की जानकारी भी मिल सके।

22. बोर्ड या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विनियामक (रेग्यूलेटरी) प्रावधान आदि निर्धारित करते समय यह ध्यान में रखेगा कि स्टॉक ब्रोकर क्या कारोबार कर रहा है, उसके कामकाज का दायरा कितना बड़ा है, और उसके यहाँ लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की कितनी भरमार रहती है।

बाजार में होने वाली धोखाधड़ी या बाजार के गलत इस्तेमाल का पता लगाने और उसे रोकने का दायित्व

23. (1) स्टॉक ब्रोकर के यहाँ नज़र रखने हेतु उसकी व्यवस्थाओं और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाओं के संबंध में जो भी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ होंगी, वे स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में होंगी।

(2) स्टॉक ब्रोकर यह तय करेगा कि उसके निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनल), कर्मचारियों या प्राधिकृत व्यक्तियों की क्या-क्या भूमिकाएँ व जिम्मेदारियाँ हैं, और साथ ही यह भी तय करेगा कि सुधारात्मक कदम कैसे उठाए जाएंगे और यह दिशानिर्देश भी तय करेगा कि विनियम 24 के अनुसार रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी।

(3) स्टॉक ब्रोकर व्यवस्थाओं (सिस्टमों), प्रक्रियाओं और नियंत्रण की प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करेगा और उनमें जरूरी बदलाव करेगा, और ऐसा एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा, ताकि सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) आदि में हो रहे बदलावों के हिसाब से कदम से कदम मिलाकर चला जा सके।

(4) अलग-अलग परिस्थितियों में अलर्ट कब-कब जारी होंगे, यह वाजिब तरीके से तय किया जाएगा और यह प्रक्रिया लिखित रूप में निर्धारित की जाएगी, साथ ही यह भी साफ-साफ उल्लेख किया जाएगा कि यह प्रक्रिया किन तर्कों के आधार पर तय की गई है।

(5) स्टॉक ब्रोकर के यहाँ ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएँ (सिस्टम) होंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अपने लिए ट्रेडिंग करने के लिए खोले गए खातों (प्रोप्राइटरी अकाउंट) का इस्तेमाल केवल उसके अपने ट्रेड (प्रोप्राइटरी ट्रेड) के लिए ही हो और यह भी सुनिश्चित हो सके कि उसके कामकाज उसी तरह चलें, जैसा बताया जाए।

(6) स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल केवल उसके कर्मचारियों और प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए।

(7) स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल उन स्थानों पर ही किया जाए जिनकी मंजूरी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई हो, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे टर्मिनलों का इस्तेमाल उसके ग्राहक किसी भी तरह से न करें।

(8) स्टॉक ब्रोकर 'गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खातों' (म्यूल अकाउंट) या संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए जो भी प्रक्रियाएँ और व्यवस्थाएँ निर्धारित करे, वे स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में हों।

(9) स्टॉक ब्रोकर का कोई भी कर्मचारी किसी भी धोखाधड़ी का, बाजार के गलत इस्तेमाल का या किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही उसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ प्रबंध-मंडल को देगा।

(10) स्टॉक ब्रोकर एक उपयुक्त व्यवस्था करेगा, जिसके तहत उसके कर्मचारी उप-विनियम (9) के तहत सूचना दे सकें (रिपोर्ट कर सकें)।

रिपोर्ट करने आदि की व्यवस्थाएँ

24. (1) स्टॉक ब्रोकर इस अध्याय में निर्धारित किए गए प्रावधानों के पालन की समीक्षा एक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य करेगा।

(2) स्टॉक ब्रोकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी या बाजार के गलत इस्तेमाल का पता चलते ही उसकी सूचना (उसके ब्यौरों सहित) जल्द से जल्द, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को उसी तरह देगा, जैसा बताया जाए।

(3) स्टॉक ब्रोकर संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी या बाजार के गलत इस्तेमाल के मामलों के संबंध में एक संक्षिप्त विश्लेषण और इन मामलों के संबंध में 'की गई कार्रवाई' की रिपोर्ट छमाही आधार पर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत करेगा।

(4) आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट) की नीति, नज़र रखने संबंधी नीति और नए ग्राहक बनाने संबंधी नीति से हटकर यदि कुछ किया जाता है, तो उसकी जानकारी देनी होगी और साथ ही यह भी बताना होगा कि उसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, और यह सब समय-समय पर स्टॉक ब्रोकर की संबंधित समिति, उसके निदेशक मंडल या उसकी ऐसी ही किसी दूसरी समिति या बॉडी (निकाय) को बताना होगा।

(5) इस प्रकार नीति से हटकर जो कुछ भी किया गया, उसकी जानकारी भी उप-विनियम (3) के अनुसार स्टॉक ब्रोकर द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में देनी होगी।

(6) स्टॉक ब्रोकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का मार्गदर्शन तब ले सकेगा, जब वह यह तय न कर पा रहा हो कि किसी लागू कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी)

25. (1) स्टॉक ब्रोकर पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी) निर्धारित करेगा (जो स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में हो) और उसे लागू करेगा।

(2) इस नीति के तहत ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यदि उसके कर्मचारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर को ऐसा लगे कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है या फिर कहीं कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई गलत तरीका अपनाया जा रहा है, विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर

संचालन (गवर्नेंस) की प्रक्रिया में कहीं कोई खामियाँ हैं, तो ऐसे में वे इस नीति के प्रावधानों के तहत गोपनीय तरीके से अपनी बात पहुँचा सकें।

(3) पर्दाफाश करने वाले व्यक्तियों (विसल ब्लोअर) को संरक्षण कैसे मिलेगा, इसका पूरा जिक्र इस नीति में होगा।

(4) इस विनियम के तहत निदेशक मंडल के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें [जिनमें प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनल), नामित निदेशकों (डेसिग्नेटेड डायरेक्टर) या प्रोमोटर (संप्रवर्तक) के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें भी शामिल हैं] स्टॉक ब्रोकर की ऑडिट कमेटी या उसके ऐसे ही किसी दूसरी बॉडी (निकाय) के पास प्रस्तुत की जाएँगी, और दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें अनुपालन अधिकारी (कंप्लायन्स ऑफिसर) के पास प्रस्तुत की जाएँगी।

जवाबदेही

26. इस अध्याय के प्रावधानों का पालन करवाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्टॉक ब्रोकर की ऑडिट कमेटी या उसके निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) या उसके यहाँ ऐसे ही ओहदे वाले दूसरे व्यक्तियों की होगी।

अध्याय – V
निरीक्षण की प्रक्रिया

बोर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार

27. (1) बोर्ड नीचे बताए गए किसी भी उद्देश्य से स्टॉक ब्रोकर के बही-खातों और दूसरे रिकॉर्डों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बही-खाते और दूसरे रिकॉर्ड / दस्तावेज उसी तरह से रखे जा रहे हैं, जिस तरह रखे जाने जरूरी हों;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] और उनके तहत बनाए गए या जारी किए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), परिपत्रों (सर्कुलर्स) के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

(2) बोर्ड के साथ-साथ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग कारपोरेशन या डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) एक साथ मिलकर भी स्टॉक ब्रोकर्स का निरीक्षण उसी प्रकार कर सकेंगे, जैसा बताया जाए।

निरीक्षण की प्रक्रिया

28. (1) विनियम 27 के तहत कोई निरीक्षण करने से पहले, बोर्ड स्टॉक ब्रोकर को उसकी यथोचित सूचना (नोटिस) देगा।

(2) बोर्ड, निवेशकों के हित में या जनहित में, ऐसी कोई भी सूचना (नोटिस) दिए बिना भी निरीक्षण कर सकेगा, हालाँकि ऐसा करने के कारण लिखित में दर्ज करने होंगे।

बोर्ड द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के संबंध में स्टॉक ब्रोकर के दायित्व

29. (1) स्टॉक ब्रोकर के वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, निदेशक, प्रोप्राइटर, पार्टनर (भागीदार), अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी को वह समस्त सहायता प्रदान करे, जो भी स्टॉक ब्रोकर से देने को कहा जाए।

(2) स्टॉक ब्रोकर के वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, निदेशक, प्रोप्राइटर, पार्टनर (भागीदार), अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी के सामने वे बहियाँ, वे खाते (अकाउंट्स), वह कंप्यूटर डाटा तथा वे दूसरे दस्तावेज पेश करे जो उसके पास पड़े हों (उसकी कस्टडी में हों)

या उसके नियंत्रण में हों, और सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) में किए गए लेनेदेन (ट्रांजेक्शन्स) से संबंधित विवरण तथा जानकारी निरीक्षण प्राधिकारी के सामने बताए गए समय के भीतर प्रस्तुत करे।

(3) स्टॉक ब्रोकर निरीक्षण प्राधिकारी को उस परिसर में जाने के लिए हर यथोचित सुविधा मुहैया कराएगा (एक्सेस देगा), जिसका कब्जा उसके पास हो या उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो।

(4) स्टॉक ब्रोकर या ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो बहियाँ, रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा कंप्यूटर डाटा हो उनकी जाँच-पड़ताल करने हेतु स्टॉक ब्रोकर यथोचित सुविधा प्रदान करेगा और उन दस्तावेजों की प्रतियाँ या अन्य सामग्री भी प्रदान करेगा, जो भी निरीक्षण प्राधिकारी प्रदान करने को कहे।

(5) निरीक्षण प्राधिकारी, निरीक्षण के दौरान, स्टॉक ब्रोकर के किसी मेम्बर, निदेशक (डाइरेक्टर), पार्टनर (भागीदार), प्रोप्राइटर, कर्मचारी, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के बयानों की पड़ताल करने या उनके बयान दर्ज करने का हकदार होगा।

बोर्ड के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करना

30. निरीक्षण प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, बोर्ड के पास निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) संबंधी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

31. बोर्ड, निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) संबंधी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ऐसी कार्रवाई करेगा और ऐसे कदम उठाएगा, जो वह ठीक समझे; जिसमें प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों या उस समय लागू किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली कार्रवाई भी शामिल है।

ऑडिटर (लेखापरीक्षक) की नियुक्ति

32. (1) निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के अलावा, बोर्ड स्टॉक ब्रोकर के बही-खातों या उसके कामकाज का निरीक्षण करने या उनकी तहकीकात (उनका इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए एक योग्यताप्राप्त (क्वालिफाइड) ऑडिटर को नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले ऑडिटर के पास निरीक्षण प्राधिकारी की वही शक्तियाँ होंगी जिनका जिक्र विनियम 27 में किया गया है, और स्टॉक ब्रोकर विनियम 29 में बताए गए दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(3) यदि इस प्रकार निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) करने पर स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से विनियम 31 के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ जाए, तो ऐसे में बोर्ड स्टॉक ब्रोकर से खर्चे की रकम [जिसमें निरीक्षण या तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) करने के संबंध में ऑडिटर को अदा की गई फीस की रकम भी शामिल है] वसूल करने का हकदार होगा।

अध्याय - VI

चूक के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

अधिनियम, नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के उल्लंघन के संबंध में जवाबदेही

33. (1) स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई भी की जा सकेगी, जिसका जिक्र प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत या उस समय लागू किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत हो।

(2) ऐसी कार्रवाई तब की जा सकेगी, जब अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों (रेग्यूलेशन्स) और बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी परिपत्र (सर्कुलर) या किन्हीं दिशानिर्देशों आदि के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो, जैसे कि,-

(क) विनियमों (रेग्युलेशन्स) या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बाय-लॉज़ (उप-विधियों) में जितनी ब्रोक्रेज ले सकने का जिक्र हो, वह उससे ज्यादा ब्रोक्रेज ले;

(ख) यदि वह अधिनियम (एक्ट) या उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत बोर्ड द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन न करे या फिर बोर्ड के किसी निर्णय का पालन न करे;

(ग) स्टॉक ब्रोकर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का मेम्बर न रह जाए;

(घ) यदि उसे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित कर दिया जाए और फिर छह महीनों की अवधि के भीतर उसे मेम्बर न बनाया जाए;

(ङ) यदि वह निरीक्षण प्राधिकारी या तहकीकात करने वाले प्राधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी) को सहयोग न करे;

(च) यदि वह बाजार में शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) या इंडेक्स (सूचकांक) को लेकर कोई हेराफेरी करे;

(छ) यदि वह बोर्ड से स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही शेयरों आदि में लेनदेन (डील) करे;

(ज) यदि वह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] या उसके तहत बनाए गए नियमों या उसके तहत जारी की गई अधिसूचनाओं में किए गए किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करके मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से बाहर शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (डील) करे या कोई ट्रेडिंग फ्लोर (ट्रेडिंग करने की सुविधा) मुहैया करवाए या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने में मदद करे;

(झ) यदि वह, बिना कोई वाजिब कारण बताए ही, —

i. तहकीकात करने वाला प्राधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी) या प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सामने बहियाँ या रजिस्टर पेश न करे;

ii. तहकीकात करने वाले प्राधिकारी के सामने खुद हाजिर न हो या तहकीकात करने वाले प्राधिकारी द्वारा पूछे गए किसी सवाल का जवाब न दे;

iii. तहकीकात करने वाले प्राधिकारी द्वारा की गई किसी जाँच-पड़ताल से संबंधित किसी दस्तावेज आदि (नोट) पर हस्ताक्षर न करे;

iv. बोर्ड के पास कोई रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत न करे; या

v. बोर्ड द्वारा नोटिस (सूचना) जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर कोई जानकारी, बहियाँ या दूसरे दस्तावेज प्रस्तुत न करे;

(ञ) न्यायनिर्णायक अधिकारी (अडजूडिकेटिंग ऑफिसर) द्वारा लगाई गए पेनल्टी की रकम अदा न करे या उसके निदेशों या आदेशों का पालन न करे ।

अध्याय - VII

विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

विशेष मामलों में विनियमों के लागू होने से छूट

34. बोर्ड, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को, बोर्ड द्वारा बताई अवधि तक, सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजारों) में रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स के लाइव एनवायरमेंट में नए प्रोडक्ट्स (उत्पादों), नई प्रक्रियाओं (प्रोसेसेज़), नई सेवाओं (सर्विसेज़), नए बिजनेस मॉडलों, आदि को परखने (की टेस्टिंग) के संबंध में इनोवेशन करने के लिए, इन विनियमों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकेगा, हालाँकि आवेदक को बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तें पूरी करनी ही होंगी।

किए गए आवेदन के आधार पर विनियमों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान करने की शक्ति

35. (1) बोर्ड या तो स्वयं या आवेदन प्राप्त होने पर, निवेशकों या सिक्यूरिटीज़ मार्केट (प्रतिभूति बाजार) के हित में या फिर सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विकास के लिए तथा उसे विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए, इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के किन्हीं प्रावधानों के कड़ाई से लागू होने के संबंध में छूट प्रदान कर सकेगा, यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि:

(क) अधिनियम, नियमों या विनियमों के जिन प्रावधानों के तहत एंटिटी बनी हो या वह जिनके दायरे में आती हो, उसे तरजीह देना जरूरी है;

(ख) संबधित प्रावधान का पालन करने की वजह से निवेशकों को बेवजह परेशानी हो सकती है;

(ग) ऐसा करना प्रक्रिया के लिहाज से या तकनीकी कारणों से जरूरी है;

(घ) प्रावधानों का पालन उन कारणों से नहीं हो पाया, जो व्यक्ति के नियंत्रण से परे थे; या

(ङ) संबंधित प्रावधान किसी उद्योग (इंडस्ट्री) विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लिए तर्कसंगत नहीं है।

(2) आवेदक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या क्लीयरिंग कारपोरेशन (समाशोधन निगम) के जरिए बोर्ड के पास एक आवेदन दाखिल करेगा, जिसमें उन कारणों का जिक्र किया जाएगा जिनके आधार पर छूट माँगी गई है, और आवेदन करते समय फीस (जितनी बोर्ड बताए) भी जमा करानी होगी (जो लौटाई नहीं जाएगी)।

(3) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या क्लीयरिंग कारपोरेशन वह आवेदन बोर्ड के पास भिजवाएगा और उसे भिजवाते समय उसके संबंध में अपनी सिफारिश भी देगा।

(4) बोर्ड ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करेगा, और फिर भले ही बोर्ड आवेदक को छूट प्रदान करे या न करे, लेकिन इसके कारण दर्ज करेगा।

(5) इस विनियम के तहत पत्र या लिखित सूचना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कारण बताते हुए यह निवेदन कर सकेगा कि उसे बोर्ड के उत्तर की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की निर्धारित अवधि तक गोपनीय रखा जाए।

(6) इस प्रकार गोपनीय रखे जाने के संबंध में प्राप्त निवेदन के मामले में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे -

(क) यदि बोर्ड निवेदन स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे में वह पत्र या लिखित सूचना आम जनता के लिए तब तक उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, जब तक निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाए;

(ख) यदि बोर्ड को ऐसा लगे कि गोपनीय रखे जाने हेतु किए गए निवेदन को नामंजूर किया जाना चाहिए, तो ऐसे में निवेदन करने वाले को इसकी सूचना दे दी जाएगी तथा इसके कारण भी बताए जाएंगे, और फिर वह व्यक्ति वह पत्र या लिखित सूचना वापस ले सकेगा, और ऐसे मामले में निवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा अदा की गई फीस (यदि कोई अदा की गई हो) लौटा दी जाएगी;

(ग) यदि खंड (ख) के तहत निवेदन वापस ले लिया जाए, तो ऐसे में कोई जवाब आदि नहीं दिया जाएगा, और वह पत्र या लिखित सूचना बोर्ड के रिकॉर्ड में तो रहेगी किंतु उसे आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा;

(घ) यदि उस पत्र या लिखित सूचना वापस नहीं ली जाती, तो ऐसे में वह पत्र या लिखित सूचना और बोर्ड का लिखित जवाब दोनों आम जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

अध्याय - VIII
आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)

सामान्य सिद्धांत

36. (1) ईमानदारी: स्टॉक ब्रोकर अपना समस्त कारोबार पूरी ईमानदारी, शीघ्रता और निष्पक्षता से करेगा।

(2) एहतियात, ईमानदारी एवं निष्पक्षता: स्टॉक ब्रोकर:

(क) अपना कारोबार ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर, कुशलतापूर्वक तथा पूरी एहतियात व सावधानी बरतते हुए और निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर करेगा;

(ख) न तो हेराफेरी करने, धोखाधड़ी करने या जालसाजी करने के इरादे से कोई लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करेगा, न ही ऐसी कोई साजिश रचेगा और न ही बाजार का संतुलन बिगाड़ने या अपना फायदा निकालने के मकसद से अफवाहें फैलाएगा;

(ग) न तो अकेले और न ही किसी और के साथ मिलकर बनावटी सौदेबाजी करेगा और न ही ऐसे किसी काम में शरीक होगा जो निवेशकों के हितों के विरूद्ध हो या जिसकी वजह से बाजार के निष्पक्ष व सुचारू रूप से हो रहे संचालन में कोई खलल पड़े;

(घ) हद से बाहर जाकर और अपनी हैसियत से बाहर जाकर बाजार में कारोबार नहीं करेगा;

(ङ) ऐसे अनुचित तरीके नहीं अपनाएगा, जिससे कि दूसरे स्टॉक ब्रोकर्स के ग्राहक उसके ग्राहक बन जाएँ; और

(च) न तो अपेक्षानुसार विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करने में लापरवाही बरतेगा, न ही विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करने में असफल होगा और न ही प्रस्तुत करने से इनकार करेगा और न ही बोर्ड तथा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने वाले किन्हीं विवरणों में कोई गलत जानकारी या गुमराह करने के उद्देश्य से कोई जानकारी देगा।

(3) **सक्षमता:** स्टॉक ब्रोकर:

(क) के यहाँ ऐसी व्यवस्थाएँ हों, जिससे कि वह सक्षमता से अपनी सेवाएँ अपने ग्राहकों को निष्पक्षतापूर्वक व तत्परतापूर्वक दे सके; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा कि उसके कर्मचारी इतने प्रशिक्षित हों जिससे कि वे अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा पाएँ और हर समय बेहतरीन ढंग से कार्य कर पाएँ।

निवेशक के प्रति कर्तव्य

37. स्टॉक ब्रोकर:

(क) हर जरूरी कदम उठाएगा, ताकि ग्राहकों से मिले अनुदेशों के अनुसार ग्राहकों के ऑर्डर शीघ्र पूरे हो पाएँ;

(ख) अपने ग्राहक को तुरंत यह सूचित करेगा कि उसका ऑर्डर पूरा हुआ या नहीं, और बोर्ड द्वारा बताई गई समय-सीमाओं के भीतर निवेशक को देय रकम अदा कर देगा या उन्हें शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) डिलीवर कर देगा;

(ग) हर लेनदेन के संबंध में, अपने ग्राहक को, निर्धारित समय-सीमा के भीतर, एक कॉण्ट्रैक्ट नोट (निर्धारित फॉर्म में) जारी करेगा;

(घ) ग्राहक द्वारा किए गए निवेश के ब्यौरे और ग्राहक की दूसरी गोपनीय जानकारी (जो कारोबारी संबंध की वजह से उसे पता हो) न तो किसी दूसरे व्यक्ति को देगा, न ही उसके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से चर्चा करेगा और न ही अनुचित तरीके से उनका इस्तेमाल करेगा;

(ङ) महज ब्रोक्रेज कमाने या कमीशन बनाने के मकसद से शेयर आदि बेचने या खरीदने के लिए नहीं उकसाएगा;

(च) किसी शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) विशेष से जुड़ा कोई बिजनेस मिल जाए ताकि उसे बोक्रेज या कमीशन की कमाई हो जाए, महज इसके लिए ग्राहकों को न तो गलत भाव बताएगा (कोटेशन देगा), न ही गुमराह करने के इरादे से कोई भाव बताएगा (कोटेशन देगा) और न ही उन्हें गुमराह करने के इरादे से कोई गलत सलाह या जानकारी देगा; और

(छ) यह जानते हुए कि किसी ग्राहक ने किसी दूसरे स्टॉक ब्रोकर को शेयरों आदि के संबंध में अपनी देनदारियाँ नहीं चुकाई हैं, उसके साथ, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, न तो कोई लेनदेन आदि करेगा और न ही उसके लिए कोई ऑर्डर पूरा करवाएगा।

हितों का टकराव (हित-विरोध)

38. (1) स्टॉक ब्रोकर, किसी ग्राहक के साथ लेनदेन करते समय, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके और उसके ग्राहक के बीच हितों के टकराव की स्थिति पैदा न हो।

(2) जहाँ कहीं भी हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो रही हो, वहाँ वह ग्राहक को इसकी जानकारी देगा, और उस परिस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपना निजी फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा।

(3) स्टॉक ब्रोकर अपने हित की तुलना में ग्राहक के हित को किसी भी तरह से कमतर नहीं समझेगा।

अंडरराइटर (हामीदार) के तौर पर कर्तव्य

39. स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटर (हामीदार) के तौर पर कार्य करते समय निम्नलिखित कर्तव्य भी निभाएगा:

(क) अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने हेतु हर जरूरी प्रयास करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसके कर्मचारी शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) का इश्यू लाने वाली वाली कंपनी (बॉडी कारपोरेट) [जिसका उल्लेख इस अध्याय में आगे "इश्युअर" के रूप में किया गया है] के साथ समस्त लेनदेन (डील) करते समय पूरी ईमानदारी बरतें;

(ग) न तो मौखिक रूप में और न ही लिखित रूप में, -

(i) ऐसा कोई बयान देगा, जिससे कि गलत तरीके से ऐसी तस्वीर पेश हो कि उसके पास अंडरराइटर के तौर पर अपने ग्राहकों के लिए सेवाएँ आदि देने की पूरी काबिलियत है, या फिर यह कि उसने किसी दूसरी इश्युअर कंपनी को ये सेवाएँ दी हैं;

(ii) अंडरराइटिंग के लिए किए गए अपने वादे को लेकर कोई गलतबयानी करेगा;

(घ) स्टॉक ब्रोकर हितों के टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने देगा और अपने हित (इंटरेस्ट) की भी पूरी-पूरी जानकारी देगा;

(ङ) स्टॉक ब्रोकर कामकाज के दौरान पैदा हो सकने वाली हितों के टकराव की स्थिति का पता लगाने, ऐसी कोई स्थिति पैदा होने की जानकारी देने और उससे निपटने के लिए एक व्यवस्था निर्धारित करेगा, या जहाँ हितों के टकराव की कोई स्थिति पैदा हो गई हो वहाँ उससे इस तरह से निपटेगा कि किसी को कोई नुकसान न उठाना पड़े;

(च) स्टॉक ब्रोकर अपनी इश्युअर कंपनी से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी किसी दूसरे इश्युअर, प्रेस या किसी दूसरे पक्ष (पार्टी) को नहीं देगा जो उसे पता चली हो;

(छ) बोर्ड को और उस इश्युअर कंपनी के निदेशक मंडल को जानकारी दिए बिना (डिस्क्लोज़र किए बिना), किसी इश्युअर कंपनी के शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में कोई लेनदेन (डील) नहीं करेगा;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि यदि रजिस्ट्रेशन की मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई बदलाव हो जाए या यदि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए या फिर वित्तीय स्थिति में ऐसा कोई बड़ा बदलाव हो जाए जिससे ग्राहकों या निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकने की संभावना हो, तो उसकी जानकारी ग्राहकों को तुरंत दे दी जाए;

(झ) खंड (ज) के अनुसार कोई स्थिति पैदा होने पर यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह से फिर उसका बाकी का कारोबार उन ग्राहकों या निवेशकों के अनुदेशानुसार किसी दूसरे रजिस्टर व्यक्ति को सौंप (ट्रांसफर कर) दिया जाए, जो प्रभावित हुए हों;

(ञ) ऐसे किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शरीक नहीं होगा, जिससे कि अंडरराइटर का कामकाज करने वाली दूसरी एंटिटियों (जो अंडरराइटर की भूमिका में हों) के हितों को नुकसान हो सकता हो, या फिर कोई कार्य अपने हाथ में लेते समय या कोई कार्य करते समय वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो ऐसे दूसरे अंडरराइटर के हितों के विरुद्ध हो;

(ट) न तो -

(i) बनावटी सौदेबाजी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा;

(ii) भाव (कीमतों) में किसी भी तरह से हेराफेरी करेगा और न ही उसमें शरीक होगा; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) हो चुके या सूचीबद्ध होने वाले शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियों) से संबंधित कोई यू.पी.एस.आई. (अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी) किसी भी व्यक्ति या इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) को देगा और न ही उसमें शरीक होगा।

अध्याय – IX
स्टॉक ब्रोकर्स / क्लीयरिंग मेम्बर्स / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर्स द्वारा फीस का भुगतान

लागू होना

40. (1) यह अध्याय ऐसे प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर के मामले में लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने की तारीख से, कैश सेगमेंट (नकदी खंड) में लेनदेन (डील) करता हो, और साथ ही ऐसे प्रत्येक क्लीयरिंग मेम्बर (समाशोधन सदस्य) / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर (स्व-समाशोधन सदस्य) के मामले में लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने की तारीख से कैश सेगमेंट (नकदी खंड) में ट्रेड की क्लीयरिंग (का समाशोधन) और ट्रेड का सेटलमेंट (निपटान) करता हो।

(2) यह अध्याय, ऐसे प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर के मामले में लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने की तारीख से, कमोडिटी डेरिवेटिव्ज़ में लेनदेन (डील) करता हो, और साथ ही ऐसे प्रत्येक क्लीयरिंग मेम्बर / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर के मामले में लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने की तारीख से, कमोडिटी डेरिवेटिव्ज़ में ट्रेड की क्लीयरिंग और ट्रेड का सेटलमेंट करता हो ।

(3) यह अध्याय ऐसे प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर के मामले में लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने की तारीख से, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट सेगमेंट में लेनदेन (डील) करता हो, और साथ ही ऐसे प्रत्येक क्लीयरिंग मेम्बर / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर के मामले में लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने की तारीख से, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट सेगमेंट में ट्रेड की क्लीयरिंग और ट्रेड का सेटलमेंट करता हो ।

फीस

41. (1) प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर / क्लीयरिंग मेम्बर / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर विनियम 42, विनियम 43, विनियम 44, विनियम 45 एवं विनियम 46 के अनुसार बोर्ड को, शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) [जिनमें उनके द्वारा किए गए वे लेनदेन भी शामिल हैं जो बाजार से परे (ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन) किए गए हों] के संबंध में फीस नीचे बताई गई दरों के अनुसार अदा करेगा:

सेगमेंट	दर / रकम (₹ में)			टिप्पणियाँ
	स्टॉक ब्रोकर	क्लीयरिंग मेम्बर	सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर	
कैश	उसके टर्नओवर का 0.00010 प्रतिशत (₹10 प्रति करोड़)	*	*	डैट सिक्यूरिटीज़ को छोड़कर शेयरों आदि में बिक्री तथा खरीद के समस्त लेनदेन (ट्रांजेक्शन) ।
इक्विटी डेरिवेटिव	उसके टर्नओवर का 0.00010 प्रतिशत (₹10 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	स्पष्टीकरण. – (क) शब्द "टर्नओवर" में शामिल होगा – स्टॉक ब्रोकर द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित सेगमेंट में पूरे किए गए ट्रेड का और कॉण्ट्रैक्ट्स के समाप्त होने पर सेटल किए गए गए ट्रेड का मूल्य (ख) ऑप्शन कॉण्ट्रैक्ट्स के मामले में, 'टर्नओवर'
करेंसी डेरिवेटिव	उसके उसके टर्नओवर का 0.00010 प्रतिशत (₹10 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	
इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव	उसके उसके टर्नओवर का 0.00005 प्रतिशत (₹5 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	

				ऑप्शन कॉण्ट्रैक्ट्स हेतु अदा किए गए प्रीमियम (प्रीमियम ट्रेडेड) की रकम के आधार पर निकाला जाएगा, और जहाँ ऑप्शन का प्रयोग आदि किया गया हो वहाँ यह उन ऑप्शन कॉण्ट्रैक्ट के आनुमानिक मूल्य (नोशनल वैल्यू) के आधार पर निकाला जाएगा जिनका प्रयोग आदि हुआ हो।
कमोडिटी डेरिवेटिव कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव (एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव)	उसके टर्नओवर का 0.00010 प्रतिशत (₹10 प्रति करोड़) उसके टर्नओवर का 0.00001 प्रतिशत (₹1 प्रति करोड़)	50,000/-	50,000/-	स्पष्टीकरण. – (क) शब्द "टर्नओवर" में शामिल होगा – स्टॉक ब्रोकर द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित सेगमेंट में पूरे किए गए ट्रेड का मूल्य और कॉण्ट्रैक्ट्स के समाप्त होने पर सेटल किए गए गए ट्रेड का मूल्य (ख) ऑप्शन कॉण्ट्रैक्ट्स के मामले में, 'टर्नओवर' ऑप्शन कॉण्ट्रैक्ट्स हेतु अदा किए गए प्रीमियम (प्रीमियम ट्रेडेड) की रकम के आधार पर निकाला जाएगा, और जहाँ ऑप्शन का प्रयोग आदि किया गया हो वहाँ यह उन ऑप्शन कॉण्ट्रैक्ट के आनुमानिक मूल्य (नोशनल वैल्यू) के आधार पर निकाला जाएगा जिनका प्रयोग आदि हुआ हो।
डैट (ऋण)	उसके टर्नओवर का 0.00002 प्रतिशत (₹2 प्रति करोड़) स्पष्टीकरण – इस खंड के सिलसिले में, शब्द "टर्नओवर" में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के डैट सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर (जिसमें	50,000/-	50,000/-	यह फीस क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर के मामले में तब लागू नहीं होगी, जब वह क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर पहले से ही किसी दूसरे सेगमेंट में क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर हो और उस सेगमेंट

	प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेम्बर भी शामिल है) द्वारा पूरे किए गए ट्रेड [जिनमें बिक्री तथा खरीद दोनों के लेनदेन (ट्रांजेक्शन) शामिल हैं] का कुल मूल्य शामिल होगा।			के लिए फीस (जैसा इस भाग में बताया गया है) अदा कर रहा हो।
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट सेगमेंट	उसके टर्नओवर का 0.00010 प्रतिशत (₹ 10 प्रति करोड़)	*	*	इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (रिसीट) में बिक्री तथा खरीद के समस्त लेनदेन (ट्रांजेक्शन)।
केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म)	*	*	*	

*जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(2) क्लीयरिंग मेम्बर / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर प्रत्येक वर्ष ₹50,000 की फीस तब तक उसी तरह अदा करता रहेगा, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन मान्य रहे, जैसा नीचे बताया गया है:-

(क) पहले वित्तीय वर्ष के लिए, रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करते समय;

(ख) उसके बाद के वित्तीय वर्षों के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 जून से पहले।

(3) विनिमय 4 के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु किए जाने वाले आवेदन के साथ पचास हजार रुपये की फीस जमा करानी होगी (जो लौटाई नहीं जाएगी)।

(4) आवेदक द्वारा यह फीस ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे के जरिए बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी।

फीस और वसूल करने का तरीका

42. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, अपने बाय-लॉज़ (उप-विधियों) के प्रावधानों के अनुसार, कैश सेगमेंट (नकदी खंड) के प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर से, विनियम 41 के मुताबिक ली जाने वाली फीस-

(क) उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उसके द्वारा शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में किए गए लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के लिए लेगा; और

(ख) उसके द्वारा बाजार से परे किए गए लेनदेन (ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन) के लिए लेगा, जिनकी रिपोर्ट उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को दी जाए।

स्पष्टीकरण. – बोर्ड यह बताएगा कि उन स्टॉक ब्रोकर्स से फीस कैसे ली जाएगी जो, खंड (ख) के अनुसार, एक ही लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की रिपोर्ट उन अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंजों को देते हैं जिनमें वे मेम्बर हैं।

(2) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कैश सेगमेंट को छोड़कर किसी दूसरे सेगमेंट के प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर से, अपने बाय-लॉज़ के प्रावधानों के अनुसार, उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित सेगमेंट में टर्नओवर के आधार पर उतनी फीस लेगा जितनी विनियम 41 के हिसाब से बनती हो।

(3) प्रत्येक कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, कमोडिटी डेरिवेटिव्ज़ में लेनदेन (डील) करने वाले / ट्रेड की क्लीयरिंग

तथा उनका सेटलमेंट करने वाले प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर / क्लीयरिंग मेम्बर / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर से, विनियम 41(1) के मुताबिक ली जाने वाली फीस अपने बाय-लॉज़ के प्रावधानों के अनुसार लेगा।

(4) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उप-विनियम (1), (2) या (3) के अनुसार एक कैलेंडर महीने के दौरान ली गई फीस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बोर्ड के पास अगले कैलेंडर महीने के पाँचवें कार्य-दिवस तक जमा करा दी जाएगी।

(5) सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इस अध्याय के तहत ली गई फीस के संबंध में ऐसे रजिस्टर रखेंगे और बोर्ड के पास ऐसे विवरण व जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जैसा बोर्ड बताए।

(6) हालाँकि उप-विनियम (5) के प्रावधान तो लागू रहेंगे ही, फिर भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह बोर्ड के पास ऐसी कोई जानकारी या स्पष्टीकरण भी दे, जैसा बोर्ड इस अध्याय के तहत ली गई या ली जाने वाली फीस के संबंध में देने को कहे।

43. जो स्टॉक ब्रोकर क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर के तौर पर भी कार्य करता हो, वह विनियम 41 के मुताबिक प्रत्येक श्रेणी के लिए वार्षिक आधार पर देय फीस, ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे के जरिए बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा करेगा।

44. (1) विनियम 42 में बताई गई किसी बात के होते हुए भी, विनियम 41 के मुताबिक फीस अदा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्टॉक ब्रोकर या क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर की ही रहेगी, और साथ ही बोर्ड भी किसी स्टॉक ब्रोकर या क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर द्वारा अदा न की गई फीस की बकाया रकम की वसूली सीधे उसी से कर सकेगा।

(2) जहाँ स्टॉक ब्रोकर या क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर की चूक के कारण फीस की रकम (जो विनियम 42 के तहत उसकी ओर से अदा की जानी थी) अदा न की जाए या देरी से अदा की जाए, वहाँ वह जितने महीनों की देरी हुई उस हर महीने के लिए या यदि महीना पूरा न हुआ हो तो जितने दिनों की देरी हुई उतने दिनों के लिए 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बोर्ड को ब्याज अदा करेगा, हालाँकि इसके बावजूद उसके खिलाफ अधिनियम, नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(3) प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर या क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बोर्ड को इस अध्याय के तहत अदा की गई या अदा की जाने वाली फीस के संबंध में वह जानकारी या वे स्पष्टीकरण दे, जो बोर्ड देने को कहे।

45. वित्तीय वर्ष का अर्थ होगा - वह वर्ष, जो 1 अप्रैल से शुरू हो और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो।

46. विनियम 42, विनियम 43, विनियम 44 और विनियम 45 के सिलसिले में, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ब्रोकर को दायित्व बताए गए हैं, वे अपेक्षानुसार, जरूरी बदलावों के साथ, क्लीयरिंग कारपोरेशन और क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर के मामले में भी लागू होंगे।

अध्याय – X

स्टॉक ब्रोकर्स / क्लीयरिंग मेम्बर्स / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर्स के लिए नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) और जमाराशि (डिपॉज़िट) रखने से संबंधित प्रावधान

47. (1) ट्रेडिंग मेम्बर / क्लीयरिंग मेम्बर / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर / प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेम्बर की कम से कम उतनी नेटवर्थ अवश्य हो, जितनी नीचे बताई गई है।

शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (डीलिंग) करने वाले मेम्बर के लिए नेटवर्थ

किस मेम्बर के लिए	बेस नेटवर्थ (रु. में)	वैरिएबल नेटवर्थ #
ट्रेडिंग मेम्बर	1 करोड़	जैसा बताया जाए
सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर	5 करोड़*	
क्लीयरिंग मेम्बर	15 करोड़*	
प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेम्बर	50 करोड़	

* करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में, सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर और क्लीयरिंग मेम्बर की क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की नेटवर्थ कम से कम अवश्य हो।

मेम्बर्स की नेटवर्थ बेस नेटवर्थ या वैरिएबल नेटवर्थ के हिसाब से जो सबसे ज्यादा बने उतनी होनी चाहिए। हालाँकि, वैरिएबल नेटवर्थ का प्रावधान 'केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म संबंधी सेगमेंट' (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म सेगमेंट) के मामले में लागू नहीं होगा।

(2) स्टॉक ब्रोकर / क्लीयरिंग मेम्बर की नेटवर्थ, सभी सेगमेंटों / मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण - 1:

(क) इस अध्याय के सिलसिले में, 'बेस नेटवर्थ' का अर्थ है – पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूँजी), पूर्ण रूप से और अनिवार्य रूप से कन्वर्टिबल (संपरिवर्तनीय) डिबेंचर / बॉण्ड / वारंट [जिन्हें जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के भीतर कन्वर्ट किया जा सकता हो], फ्री रिज़र्व (खुली आरक्षितियाँ) और दूसरे शेयर आदि (प्रतिभूतियाँ / सिक्यूरिटीज़) [जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर मंजूरी प्रदान की जाए], किंतु इसमें ये शामिल नहीं होंगे – अचल संपत्तियाँ आदि (फिक्स्ड असेट्स), गिरवी रखे गए शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़), मेम्बर के कार्ड का मूल्य, जिन शेयर आदि के संबंध में मंजूरी प्रदान न की गई हो वे शेयर आदि [असूचीगत शेयर आदि (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़)], बैड डिलीवरीज़, किसी भी प्रकार के ऋण (डैट) और एडवांस [उन देनदारों (ट्रेड डैटर) को छोड़कर जिन्होंने ट्रेड के संबंध में 3 महीनों से कम समय के लिए ऋण लिया हो], प्रीपेड एक्सपेंसेस, नुकसान, इनटैंजिबल असेट्स (अमूर्त आस्तियाँ) और मार्केटेबल सिक्यूरिटीज़ (विपणनयोग्य प्रतिभूतियों) के मूल्य का 30%।

(ख) यदि शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) क्लीयरिंग कारपोरेशन के यहाँ गिरवी रखी जाएँ, तो ऐसे में हेयरकट के बाद ट्रेडिंग मेम्बर / क्लीयरिंग मेम्बर के शेयरों के मूल्य (जैसा निर्धारित किया जाए) को नेटवर्थ निकालते समय गिना जाएगा।

(ग) जहाँ डैट सेगमेंट के स्टॉक ब्रोकर, क्लीयरिंग मेम्बर या सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर बोर्ड से भिन्न किसी क्षेत्र विशेष के विनियामक (रेग्युलेटर) के दायरे में भी आता हो, वहाँ नेटवर्थ उसी प्रकार निकाली जाएगी जैसा उस क्षेत्र विशेष के विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा बताया गया हो या जैसा बोर्ड द्वारा बताया गया हो (दोनों के हिसाब से जो भी ज्यादा हो)।

स्पष्टीकरण-2: इस अध्याय के सिलसिले में, फ्री रिज़र्व (खुली आरक्षितियों) में लाभ और हानि (प्रॉफिट एंड लॉस), जनरल रिज़र्व, सिक्यूरिटीज़ प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर रिडेंप्शन रिज़र्व और कैपिटल रिडेंप्शन रिज़र्व शामिल होंगे, किंतु इनमें संपत्तियों आदि (असेट्स) के पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) से बने रिज़र्व शामिल नहीं होंगे।

स्टॉक ब्रोकर्स / क्लीयरिंग मेम्बर्स को कम से कम कितनी जमाराशि (डिपॉज़िट) रखनी होगी, उससे संबंधित प्रावधान

48. (1) स्टॉक ब्रोकर / क्लीयरिंग मेम्बर को कम से कम उतनी जमाराशि (डिपॉज़िट) रखनी होगी, जितनी नीचे बताई गई है।

शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (डीलिंग) करने वाले मेम्बर्स को कम से कम कितनी जमाराशि (डिपॉज़िट) रखनी होगी

सेगमेंट		ट्रेडिंग मेम्बर (रु. में)	क्लीयरिंग मेम्बर (रु. में)	सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर (रु. में)
कैश		*	*	*
इक्विटी डेरिवेटिव		*	50 लाख	50 लाख
करेंसी डेरिवेटिव		*	50 लाख	50 लाख
डैट (ऋण)		*	*	*
कमोडिटी डेरिवेटिव	एनसीडीई	शून्य	50 लाख	50 लाख
	आरसीडीई	शून्य	*	*
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (रिसीट)		*	1 करोड़	1 करोड़
केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म)		*	*	*

एनसीडीई: राष्ट्रीय स्तर के (नेशनल) कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज
आरसीडीई: क्षेत्रीय स्तर के (रीजनल) कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज
*जैसा बताया जाए।

(2) ट्रेडिंग मेम्बर / क्लीयरिंग मेम्बर / सेल्फ-क्लीयरिंग मेम्बर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज / क्लीयरिंग कारपोरेशन के पास जमाराशि (डिपॉजिट) रखेंगे।

स्पष्टीकरण:

डैट सेगमेंट (ऋण खंड) के संबंध में जितनी जमाराशि रखने का प्रावधान किया गया है, वह प्रावधान तब लागू नहीं होगा जब कोई क्लीयरिंग मेम्बर सभी ट्रेड की क्लीयरिंग (का समाशोधन) और उनका सेटलमेंट (निपटान) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) और पैसों (फंड) दोनों के मामले में, सेटलमेंट (निपटान) या ट्रेड गांरटी फंड का इस्तेमाल किए बिना ही, केवल सकल आधार पर करे।

अध्याय - XI

विविध

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

49. इन विनियमों के प्रावधानों के आशय को लेकर या उनके लागू होने को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड के पास गाइडेंस नोट या परिपत्र (सर्कुलर) या दिशानिर्देशों के जरिए निदेश देने की शक्ति होगी

प्रक्रियाएँ आदि निर्धारित करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

50. इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के सुचारू रूप से लागू होने और इनसे जुड़े मामलों के संबंध में, बोर्ड परिपत्र (सर्कुलर) जारी करके इन विनियमों में दिए हुए मानदंडों, दी हुई प्रक्रियाओं आदि या दिए हुए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कह सकेगा।

पहले के प्रावधानों को निरस्त करना और उनके तहत की गई कार्रवाई पर असर न पड़ना

51. (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 1992 निरस्त हो जाएँगे ।

(2) उपरोक्त विनियमों के इस प्रकार निरस्त हो जाने पर भी –

(क) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले, उनके तहत की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई अथवा की जा सकने वाली किसी बात या किसी कार्रवाई [जिसमें शामिल हैं – दिया गया रजिस्ट्रेशन या दी गई मंजूरी, ली गई फीस, निलंबित या रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन अथवा निलंबित या रद्द की गई मंजूरी, शुरू किया गया निरीक्षण, शुरू की गई न्यायनिर्णयन कार्रवाई (अड्जूडिकेशन), शुरू की गई कोई जाँच या शुरू की गई कोई तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या जारी की गई कारण बताओ सूचना (शो काज़ नोटिस)] के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है;

(ख) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले, उनके तहत बोर्ड के पास प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन (जो बोर्ड के पास लंबित हो) के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत किया गया है;

(ग) उपरोक्त विनियमों के निरस्त होने से पहले उनके तहत जो कुछ भी किया गया उस पर, अथवा उनके तहत विधिवत रूप से की गई किसी बात आदि, उनके तहत मिले किसी अधिकार या विशेषाधिकार, उनके तहत बने किसी दायित्व (ऑब्लिगेशन) या बनी किसी देनदारी (लाइबिलिटी) पर, उनके किसी उल्लंघन के संबंध में लगाई गई किसी पेनल्टी (आर्थिक दंड / शास्ति) पर, अथवा उपरोक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व (ऑब्लिगेशन), देनदारी (लायबिलिटी) या पेनल्टी के संबंध में की गई किसी तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन) या की गई कानूनी कार्यवाही आदि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मानो कि वे कभी निरस्त ही न हुए हों ।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 1992 के निरस्त हो जाने के बाद, बोर्ड द्वारा बताए गए किन्हीं दूसरे विनियमों और उनके तहत जारी किए गए किन्हीं दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) या किन्हीं परिपत्रों (सर्कुलर्स) में जहाँ कहीं भी उनके किसी प्रावधान का कोई संदर्भ आया हो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों का ही संदर्भ है।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./594/2025-26]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 07th January, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (STOCK BROKERS) REGULATIONS, 2026

A regulation that embodies the regulatory framework for registration of stock brokers and clearing members, specifying their operational and general obligations and responsibilities, and for matters connected therewith or incidental thereto.

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2026/291– In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11(2) and section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations, namely –

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "certificate" means a certificate of registration issued by the Board;

(c) "change in control" –

(i) in case of a body corporate –

(A) whose shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulation 2(1)(e) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(B) whose shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in Section 2(27) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership or change in controlling interest.

Explanation – For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest to the extent of not less than fifty percent of voting rights or interest, either directly or indirectly;

(d) "clearing corporation" shall mean a clearing corporation as defined in regulation 2(1)(d) of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018;

(e) "clearing member" means a person having clearing and settlement rights in any recognised clearing corporation;

(f) "designated director" shall mean a person designated as such by the stock broker or clearing member and shall include –

(i) the managing director or a whole-time director duly authorized by the Board of Directors, if the entity is a company;

(ii) the managing partner, if the entity is a partnership firm or a designated partner, if the entity is a Limited Liability Partnership;

(iii) the proprietor, if the entity is a proprietorship concern; and

(iv) such other person or class of persons as may be specified by the Board, if the stock broker or clearing member does not fall in any of the categories above;

(g) "Execution Only Platform" means any digital or online platform which facilitates transactions such as subscription, redemption and switch transactions in a direct plan of a scheme of a Mutual Fund;

(h) "form" means a form specified by the Board or recognized stock exchange;

(i) "fraud" or "fraudulent" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003;

(j) "inspecting authority" means one or more persons appointed by the Board to exercise powers conferred under Chapter V;

(k) "issue" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;

(l) "market abuse" means a manipulative, fraudulent and unfair trade practice including through a mule account which may contravene any of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 or the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 or Section 12A of the Act;

(m) "mule account" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003;

(n) "professional clearing member" means a clearing member without having the trading rights in the same segment of any of the recognised stock exchange for which it is acting as a clearing member.;

(o) "proprietary trading" means trading by a stockbroker in its own account, in any segment of a recognised stock exchange;

(p) "proprietary trading member" means a stock broker whose trades are exclusively in the nature of proprietary trading;

(q) "qualified stock broker" means a stock broker designated as such under regulation 19;

(r) "regulatory sandbox" means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc. may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time, for furthering innovation in the securities market;

(s) "Securities Contract (Regulation) Act" means Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(t) "self-clearing member" means a clearing member who settles trades on its own account or of its clients;

(u) "senior management" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(v) "specified" means as specified by the Board or a recognised stock exchange in consultation with the Board, unless otherwise stated;

(w) "stock broker" means a person having trading rights in any recognised stock exchange and includes a trading member;

(x) "suspicious activity" shall mean any fraudulent activity in respect of know your client requirements, order placement or trading activity;

(y) "underwriter" means a person who engages in the business of underwriting of an issue of securities of a body corporate;

(z) "underwriting" means an agreement to subscribe to or to procure subscription for securities which remain unsubscribed after being issued or offered for sale.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Companies Act, 2013, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996 or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

Applicability of provisions to clearing member and certain clarifications.

3 (1) A stock broker registered with the Board does not need a separate registration to act as a clearing member in any segment of the clearing corporation subject to the approval of such clearing corporation.

(2) A clearing member registered with the Board does not need a separate registration to act as a stock broker in any segment of the recognised stock exchange subject to the approval of such recognised stock exchange.

(3) Separate registration as a clearing member shall not be required for any person, who is registered with the limited purpose clearing corporation as a participant, for participating in the tri-party repo segment for undertaking proprietary trades in corporate bonds.

Explanation – For the purposes of these regulations, "participant" means any person who is an eligible entity as stipulated under the Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018.

(4) The provisions of Chapters II, Chapter III, Chapter V, Chapter VI and Chapter VIII of these regulations other than provisions specified under regulation 13, regulation 14, regulation 15(5) and regulation 19 shall mutatis mutandis apply to a clearing member and any reference to a recognised stock exchange in that case shall be taken as reference to a clearing corporation.

CHAPTER II
REGISTRATION OF STOCK BROKERS

Application for registration.

4. (1) Any person who intends to act as a stock broker shall be required to submit an application to the Board through a recognised stock exchange either electronically or otherwise, in the form, along with the application fees as specified in Chapter IX.

(2) The recognised stock exchange shall examine the eligibility of the applicant in terms of relevant Acts, Regulations (including these regulations) as well as the rules and bye-laws of the concerned recognised stock exchange.

(3) After examination, the recognised stock exchange shall forward the application to the Board along with its recommendation within thirty days of receipt of the complete application with the application fees specified by Board.

(4) A stock broker registered with the Board may operate in any recognised stock exchange or any segment of the recognised stock exchange subject to the approval of such recognised stock exchange.

Furnishing of information and clarification.

5. The Board may seek any information from the applicant or the recognised stock exchange and may require the applicant or its designated director to appear before the Board to furnish any information or clarifications to consider the application for grant of a certificate.

Consideration of application for grant of certificate.

6. (1) The Board shall take into account all matters which it deems relevant for grant of certificate.

(2) The Board may, in particular, examine whether the applicant–

(a) is eligible to be admitted as a member of a recognised stock exchange;

(b) has necessary infrastructure like adequate office space, equipment and manpower to effectively discharge its activities;

(c) has experience of at least two years in the business of trading or dealing in securities, as the case may be;

(d) has been subjected to disciplinary proceedings under the rules, and bye-laws of a recognised stock exchange as a stock broker involving either itself or any of its partners, directors, senior management, key managerial personnel or employees;

(e) has been subjected to enforcement action under securities laws, with respect to its business as a stock broker involving either itself or any of its partners, directors, senior management, key managerial personnel or employees;

(f) is a fit and proper person based on the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;

(g) has any financial liability which is due and payable in terms of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or rules and regulations made thereunder;

(h) has obtained the relevant certification from National Institute of Securities Market or any other certification as may be specified;

(i) satisfies the minimum net worth and deposit requirements; and

(j) has at least one designated director, who stays in India for a total period of not less than one hundred and eighty-two days during the financial year.

(3) An existing stock broker shall comply with the requirement specified under regulation 6(2)(j) within six months from the date of notification of these regulations.

Grant of certificate.

7. (1) The Board on being satisfied that the applicant has complied with the requirements specified in regulation 6, shall grant a certificate to the stock broker subject to such terms and conditions as the Board may deem fit and appropriate.

(2) The Board shall send intimation to that effect to the concerned recognised stock exchange of which the applicant is a member.

Procedure where certificate is refused.

8. (1) The Board may refuse the grant of certificate to the applicant after giving a reasonable opportunity of being heard and shall, within thirty days of such refusal, communicate the same along with the reasons for refusal to the applicant and to the concerned recognized stock exchange.

(2) An applicant may apply to the Board for reconsideration of its decision of refusal to grant certificate within thirty days from the date of receipt of such communication.

(3) The Board shall reconsider such application and communicate its decision as soon as possible in writing to the applicant and to the concerned recognized stock exchange.

Payment of fees.

9. (1) Every applicant eligible for grant of a certificate as a stock broker shall pay such fees and in such manner as specified in Chapter IX.

(2) The Board may, on sufficient cause being shown, grant an additional period up to six months to the stock broker to pay such fees.

Conditions of certificate.

10. The certificate granted under regulation 7 shall be subject to the conditions that the stock broker, –

(a) holds the membership of any recognized stock exchange;

(b) abides by the rules, regulations and bye-laws of such recognized stock exchange in respect of the activities carried on by it as a stock broker;

(c) obtains prior approval of the Board by making an application through a recognised stock exchange for any change in control in the manner as may be specified;

(d) pays fees to the Board in the manner provided in these regulations;

(e) takes adequate steps for redressal of grievances of the investors within twenty-one calendar days of the date of receipt of the complaint;

(f) abides by the Code of Conduct as specified in Chapter VIII;

(g) maintains the minimum networth as specified in Chapter X;

(h) informs the Board, through a recognized stock exchange, of any material change in the information submitted at the time of registration.

Explanation: For the purpose of this regulation, 'material change' shall include–

(i) change in control;

(ii) change in designated director, key managerial personnel or compliance officer;

(iii) change in name;

(iv) change in registered office;

(v) change in constitution;

(vi) change in net worth below the minimum net worth requirement;

(vii) change in 'fit and proper person' status as specified under Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008; and

(viii) any other changes as may be specified.

Surrender of certificate.

11. A stock broker, desirous of giving up its activity as a stock broker, shall apply to the Board for surrender of the certificate granted under these regulations, in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Board.

Other permitted activities.

12. (1) A stock broker may carry out an activity under the regulatory framework of the other financial sector regulator or any other specified authority in the manner as may be specified by the Board.

(2) Such activity shall fall under the purview of the concerned financial sector regulator or authority.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression "financial sector regulator" shall mean an authority or body constituted under any law for the time being in force to regulate services or transactions in the financial sector and includes the Reserve Bank of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund and Regulatory Development Authority, International Financial Services Centres Authority, Ministry of Corporate Affairs, Insolvency and Bankruptcy Board of India and such other authority as may be specified by the Board.

Incidental advice.

13. A stock broker may provide incidental investment advice to its broking clients who might be expected to rely thereon to acquire, dispose of, retain any securities, provided it complies with Chapter III of the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisors) Regulations, 2013.

Underwriting activity.

14. (1) A stock broker is eligible to act as an underwriter.

(2) A stock broker may act as an underwriter only out of its own net worth/funds as may be specified.

(3) Every stock broker acting as an underwriter shall comply with the following general responsibilities–

(a) it shall not derive any benefit, either directly or indirectly, from underwriting the issue other than the commission or brokerage payable under an agreement for underwriting;

(b) the total underwriting obligations under all the agreements shall not exceed twenty times of the net worth;

(c) every stock broker acting as an underwriter, in the event of being called upon to subscribe for securities of a body corporate pursuant to an agreement, shall subscribe to such securities within 45 days of the receipt of such intimation from such body corporate;

(d) it shall enter into a valid agreement with each body corporate for whom it is acting as an underwriter and the said agreement shall, amongst other things, provide for the following, namely –

(i) the period for which the agreement shall be in force;

(ii) the allocation of duties and responsibilities between the underwriter and the client;

(iii) the amount of underwriting obligations;

(iv) the period, within which the underwriter has to subscribe to the issue after being intimated by or on behalf of such body corporate;

(v) the amount of commission or brokerage payable to the underwriter; and

(vi) details of arrangements, if any, made by the underwriter for fulfilling the underwriting obligations.

(4) A stock broker, carrying on activities as an underwriter, shall abide by the regulations made under the Act in respect of such activities.

CHAPTER III
GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

To maintain proper books of account, records, etc.

15. (1) Every stock broker shall keep and maintain, either physically or in electronic form, the following books of account, records and documents, namely–

(a) Register of transactions (Sauda Book);

(b) Clients ledger;

(c) General ledger;

(d) Journals;

(e) Cash book;

(f) Bank pass book or Bank book or Bank statement;

(g) Register of Securities, and the statement of account and other records relating to receipt and delivery of securities provided by the depository participants in respect of dematerialized securities;

(h) Copy of contract notes issued to clients;

(i) Written consent of clients in respect of contracts entered into as principals;

(j) Margin deposit book or margin ledger or collateral ledger; and

(k) Client account opening forms in the format as may be specified.

(2) A stock broker in the Execution Only Platform segment, shall keep and maintain, either physically or in electronic form, the books of account, records and documents as specified.

(3) Every stock broker shall intimate the place of maintenance of books of account, records and documents to a recognized stock exchange of which it is a member.

(4) Every stock broker shall furnish to a recognised stock exchange, of which it is a member, a copy of the audited balance sheet and profit and loss account within six months or a period as may be specified after the close of each accounting period.

(5) Every stock broker acting as an underwriter shall also maintain the following additional documents and records –

(a) details of all agreements;

(b) total amount of securities of each body corporate subscribed to in pursuance of an agreement;

(c) a copy of the balance sheet and profit and loss account as at the end of each accounting period and a copy of the auditor's report on the accounts for that period, for a stock broker being a body corporate;

(d) records in respect of all sums of money received and expended by them and the matters in respect of which the receipt and expenditure take place along with statement to its assets and liabilities, for a stock broker not being a body corporate; and

(e) such other records as may be specified for underwriting.

Period of maintenance of books of account and records.

16. Every stock broker shall maintain the books of account and other records under regulation 15 for a minimum period of eight years.

Appointment of compliance officer.

17. (1) Every stock broker shall appoint a compliance officer who shall be responsible for–

(a) monitoring the compliance of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or any rules or regulations made thereunder as well as the bye-laws, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Board or recognised stock exchange as the case may be; and

(b) redressal of investors' grievances.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report to recognised stock exchange any non-compliance observed.

Other obligations and responsibilities for stock broker.

18. (1) The stock broker shall be required to meet the obligations and discharge responsibilities as stated in sub-regulation (2) to (11), in the manner specified.

Protection of client's funds and securities.

(2) A stock broker shall–

(a) ensure that the clients' funds are available at all times, as specified;

(b) adhere to the allocation and segregation of collaterals at the client level and upstreaming of client funds provisions, as specified; and

(c) segregate the money and securities deposited by a client from its own account or account of any other client and shall not use the same for itself or for any other client or for any purpose other than the purposes mentioned in rules, regulations, circulars and guidelines issued by the Board or the Central Government as the case may be or rules, regulations, bye-laws and circulars issued by a recognised stock exchange.

Risk management and internal control.

(3) A stock broker shall have a sound risk management system for comprehensively managing risks and shall have adequate internal procedures and controls with the aim of protecting the interests of clients, their assets and ensuring proper management of risk.

(4) A stock broker shall also–

(a) adhere to the audit related requirements as specified;

(b) adhere to the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011 and any circulars or guidelines issued thereunder; and

(c) ensure the confidentiality of all the details of the client and shall not disclose such details to any person except as required under any law, rules, regulations or with the express written permission of the client.

Cyber security and cyber resilience.

(5) The stock broker shall have a robust cyber security and cyber resilience framework, as specified.

Grievance Redressal Mechanism.

(6) The stock broker shall ensure that it is continuously enrolled on SEBI Complaints Redress System (SCORES), the common Online Dispute Resolution Portal (ODR) or such other platform, as specified.

Code of advertisement.

(7) The stock broker shall adhere to the code of advertisement, as specified.

Outsourcing.

(8) The stock broker shall adhere to the guidelines on outsourcing of activities, as specified.

Compliance.

(9) A stock broker shall abide by all the provisions of the Act, rules, regulations, notifications, circulars and guidelines issued by the Central Government or the Board as the case may be as well as the rules, regulations, bye-laws, notifications, circulars and guidelines of recognised stock exchange as may be applicable to it as a stock broker.

Investor Charter.

(10) The stock broker shall ensure compliance with the Investor Charter specified.

Execution of Orders.

(11) A stock broker shall faithfully execute orders on behalf of clients for buying and selling of securities at the best available market price.

Enhanced obligations and responsibilities for qualified stock brokers.

19. (1) The Board may designate a stock broker as a qualified stock broker having regard to its size, scale of operations and likely impact on investors and securities market, on the basis of the following parameters with appropriate weightages specified–

(a) total number of active clients;

(b) available total assets of clients with the stock broker;

(c) trading volumes of the stock broker;

(d) end of the day margin obligations of all clients of a stock broker; and

(e) proprietary trading volumes of the stock broker.

(2) In addition to obligation specified under regulation 18, the stock broker designated as a qualified stock broker shall be required to meet enhanced obligations and discharge responsibilities, as may be specified, to ensure –

(a) appropriate governance structure and processes;

(b) appropriate risk management policy and processes;

(c) scalable infrastructure and appropriate technical capacity;

(d) framework for orderly winding down;

(e) robust cyber security framework and processes; and

(f) investor services including online complaint redressal mechanism.

Activities restricted or prohibited for stock broker.

20. A stock broker shall refrain from–

(a) engaging in activities or schemes of indicative or guaranteed or fixed or periodic returns or payments, which are not permitted under the Regulations, as well as bye-laws, notifications and circulars issued by the Board or a recognized stock exchange, as the case may be;

(b) operating any schemes of unauthorised collective investments/portfolio management services;

(c) engaging in any activity not permitted under rule 8(1)(f) and rule 8(3)(f) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957; and

(d) accepting cash from its clients either directly or by way of cash deposit to its bank account.

CHAPTER IV

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD OR MARKET ABUSE

Systems for surveillance of trading activities and internal controls.

21. The stock broker shall put in place adequate systems for surveillance of trading activities and internal control systems to ensure compliance with all the regulatory requirements as may be specified for the detection, prevention and reporting of potential fraud or market abuse by its clients, directors, senior management, key managerial personnel, employees or authorised persons.

22. The Board or recognised stock exchange may consider the nature of business, the size of its operations and the complexity of the transactions being undertaken by the stock broker while specifying the regulatory requirements.

Obligations with respect to prevention and detection of fraud or market abuse.

23. (1) The stock broker shall maintain clearly documented policies and procedures relating to its surveillance systems and internal controls.

(2) The stock broker shall define the roles and responsibilities of its directors, senior management, key managerial personnel, employees or authorised persons, the corrective actions to be taken and the guidelines for reporting of activities as specified under regulation 24.

(3) The stock broker, shall review and update the systems, processes, and control procedures on a periodic basis and in any case not less than once in a calendar year, to keep pace with the developments in the securities market and regulatory changes.

(4) The thresholds for generation of alerts for various scenarios shall be set at a reasonable level and be documented along with clear rationale for the same.

(5) The stock broker shall have adequate systems in place to ensure that its proprietary accounts are used only for the purpose of carrying out proprietary trades and that its operations are in accordance with the requirements as may be specified.

(6) The stock broker shall ensure that its trading terminal is used by its employees and authorised persons only.

(7) The stock broker shall ensure that its trading terminal are used only at locations approved by recognised stock exchange and that such terminals shall not be used by its clients in any form or manner.

(8) The stock broker shall establish and maintain documented processes and systems to detect potential mule accounts or suspicious activity.

(9) Any employee of the stock broker, upon having knowledge of any fraud, market abuse or suspicious activity shall forthwith inform the same to the senior management.

(10) The stock broker shall put in place an appropriate mechanism for reporting by employees under sub-regulation (9).

Escalation and reporting mechanisms.

24. (1) The stock broker, shall review the compliance with the regulatory requirements specified under this Chapter not less than once in each quarter.

(2) The stock broker shall on the detection of any suspicious activity, fraud or market abuse promptly inform the same along with the details to the recognised stock exchanges, in such manner as may be specified.

(3) The stock broker shall submit a summary analysis and action taken report on instances of suspicious activity, fraud or market abuse on a half-yearly basis to recognised stock exchanges.

(4) Any deviation in adherence to internal controls, risk management policy, surveillance policy, policy for onboarding of clients along with the proposed corrective actions for such deviation shall be placed before the appropriate Committee, Board of Directors or such other equivalent or analogous bodies of the stock broker at regular intervals.

(5) Such deviations shall also form a part of the report to be submitted by the stock broker to a recognised stock exchange in terms of sub regulation (3).

(6) The stock broker may seek guidance from a recognised stock exchange on any identified suspicious activity for which it could not ascertain the violation of the applicable provision.

Whistle blower policy.

25. (1) The stock broker shall establish, implement and maintain documented whistle blower policy.

(2) Such policy shall provide for a confidential channel for employees and other stakeholders to raise concerns about any suspicious activity or a suspected fraudulent, unfair or unethical practices, violations of regulatory or legal requirements or governance vulnerability.

(3) The policy should establish procedures to ensure adequate protection of the whistle blowers.

(4) The complaints under this regulation against the Board of Directors including those against the managing director, chief executive officer, key managerial personnel, designated directors or promoter shall be addressed to the Audit Committee or other analogous body of the stock broker and the complaints against other employees shall be addressed to the Compliance Officer.

Accountability.

26. The Audit committee or the Board of Directors or persons of other equivalent or analogous rank of the stock broker shall be responsible and accountable for enforcing the provisions of this chapter.

CHAPTER V
PROCEDURE FOR INSPECTION

Board's right to inspect.

27. (1) The Board may appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts and other records or documents of the stock broker for any of the purposes specified below–

(a) to ensure that the books of account and other records/documents are being maintained in the manner required;

(b) to ensure that the provisions of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, rules, regulations, circulars made or issued thereunder are being complied with.

(2) The Board, along with the recognised stock exchange, clearing corporation or depository may conduct a joint inspection of the stock brokers in the manner as may be specified.

Procedure for inspection.

28. (1) Before undertaking any inspection under regulation 27, the Board shall give a reasonable notice to the stock broker for that purpose.

(2) The Board may, for reasons to be recorded in writing, may dispense with the requirement of such notice in the interest of the investors or in public interest.

Obligations of stock broker on inspection by the Board.

29. (1) It shall be the duty of senior management, key managerial personnel, director, proprietor, partner, officer and employee of the stock broker to provide to the inspecting authority all assistance in connection with the inspection, which the stock broker may reasonably be expected to provide.

(2) It shall be the duty of senior management, key managerial personnel, director, proprietor, partner, officer and employee of the stock broker to produce books, accounts, computer data and other documents in its custody or control and furnish the statements and information relating to the transactions in securities market to the inspecting authority within the required time.

(3) The stock broker shall allow the inspecting authority reasonable access to the premises occupied by such stock broker or by any other person on its behalf.

(4) The stock broker shall extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the stock broker or any other person and also provide copies of the documents or other materials sought by the inspecting authority.

(5) The inspecting authority, during the course of inspection, shall be entitled to examine or record statements of any member, director, partner, proprietor, employee, senior management and key managerial personnel of the stock broker.

Submission of report to the Board.

30. The inspecting authority shall, as soon as possible, submit an inspection report to the Board.

Action on inspection or investigation report.

31. The Board shall after consideration of inspection or investigation report take such action and measures as it may deem fit and appropriate including action under securities laws or under any other law for the time being in force.

Appointment of auditor.

32. (1) In addition to the inspection by inspecting authority, the Board may appoint a qualified auditor to inspect or investigate into the books of account or the affairs of the stock broker.

(2) The auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as mentioned in regulation 27 and the stock broker shall comply with the obligations specified under regulation 29.

(3) Where such inspection or investigation results in adverse findings leading to action under regulation 31, the Board shall be entitled to recover from the stock broker, any expenses including fees paid to the auditors for the purposes of inspection or investigation.

CHAPTER VI

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Liability for contravention of the Act, rules or the regulations.

33. (1) A stock broker shall be liable for any action specified under securities laws or under any other law for the time being in force.

(2) Such action may be taken for violation of any provisions of the Act, rules and regulations made there under as well as of any circular or guidelines etc. issued by the Board including for, –

(a) charging of brokerage which is in excess of brokerage specified in the regulations or the bye-laws of the recognised stock exchange;

(b) failure to comply with directions issued by the Board under the Act or the regulations framed thereunder or to abide by any decision of the Board;

(c) ceasing to be a member of a recognised stock exchange;

(d) being declared a defaulter by a recognised stock exchange and has not been re-admitted as a member within a period of six months;

(e) failure to co-operate with the inspecting or investigating authority;

(f) indulging in market manipulation of securities or index;

(g) dealing in securities without obtaining certificate of registration from the Board as a stock broker;

(h) dealing in securities or providing trading floor or assisting in trading outside the recognized stock exchange in violation of provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or rules made or notifications issued thereunder;

(i) failure without reasonable cause—

(i) to produce to the investigating authority or any person authorized by it in this behalf, any books or registers;

(ii) to appear before the investigating authority personally or to answer any question which is put to it by the investigating authority;

(iii) to sign the notes of any examination taken down by the investigating authority;

(iv) to file any return or report with the Board; or

(v) to furnish any information, books or other documents within 15 days of issue of notice by the Board;

(j) failure to pay penalty imposed by the adjudicating officer or failure to comply with any of her directions or orders.

CHAPTER VII

POWER TO RELAX STRICT ENFORCEMENT OF THE REGULATIONS

Exemption from enforcement of the regulations in special cases.

34. The Board may exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations, for a period as may be determined by Board, for furthering innovation relating to testing new products, processes, services, business models, etc., in live environment of regulatory sandbox in the securities markets subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Board.

Power to relax strict enforcement of the regulations on the basis of application.

35. (1) The Board may either *suo moto* or upon receipt of an application, in the interest of investors or securities market or for the development and regulation of the securities market, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations, if the Board is satisfied that:

(a) any provisions of Act, rules or regulations under which the entity is established or is governed by, is required to be given precedence to;

(b) the requirement may cause undue hardships to investors;

(c) the requirement is procedural or technical in nature;

(d) the non-compliance is caused due to factors beyond the control of the person; or

(e) the requirement is not relevant for a particular class of industry or person.

(2) An applicant shall file an application, detailing the grounds on which such relaxation has been sought, to the Board through a recognised stock exchange or clearing corporation along with a non-refundable fee, as specified by the Board.

(3) A recognised stock exchange or clearing corporation shall forward such application to the Board along with its recommendation.

(4) The Board shall process such application and shall record reasons for acceptance or refusal of relaxations sought by the applicant.

(5) Any person submitting a letter or written communication under this regulation may request, along with the reasons, confidential treatment for a specified period not exceeding one hundred and eighty days commencing from the date of the Board's response.

(6) The request received for confidential treatment shall be subject to the following provisions–

(a) If the Board determines to grant the request, the letter or written communication will not be available to the public until the expiration of the specified period;

(b) If it appears to the Board that the request for confidential treatment should be denied, the requestor will be so advised with reasons and such person may withdraw the letter or written communication, in which case the fee, if any, paid by the requestor would be refunded;

(c) In case where a request has been withdrawn under clause (b), no response will be given and the letter or written communication will remain in the records of the Board but will not be made available to the public;

(d) If the letter or written communication is not withdrawn, it shall be available to the public together with the written response of the Board.

CHAPTER VIII
CODE OF CONDUCT

General principles.

36. (1) **Integrity:** A stock broker, shall maintain high standards of integrity, promptitude and fairness in the conduct of all its business.

(2) **Diligence, honesty and fairness:** A stock broker shall–

(a) act honestly, fairly and with due skill, care and diligence and in the interest of investors while conducting its business;

(b) not indulge in manipulative, fraudulent or deceptive transactions or schemes or spread rumours with a view to distorting market equilibrium or making personal gains;

(c) not create false market either singly or in collusion with others or indulge in any act detrimental to the investors interest or which leads to interference with the fair and smooth functioning of the market;

(d) not involve itself in business in the market beyond reasonable levels not commensurate with its financial soundness;

(e) not resort to unfair means to solicit clients from other stock brokers; and

(f) not neglect or fail or refuse to submit the required returns and not make any false or misleading statement in any returns required to be submitted to the Board and the recognised stock exchange.

(3) **Competence:** A stock broker shall–

(a) have arrangements to render fair, prompt and competent services to its clients; and

(b) take all reasonable steps to ensure that its employees are adequately trained to a level commensurate with their responsibilities and to act professionally at all times.

Duty to the investor.

37. A stock broker shall–

(a) take all reasonable steps to promptly execute client orders in accordance with clients' instructions;

(b) promptly inform its client about the execution or non-execution of an order, and make payment or delivery of securities due to the investor within the timelines specified by Board;

(c) issue a contract note to its client, within specified timeline, for all transactions in the form specified;

(d) not disclose or discuss with any other person or make improper use of the details of personal investments and other information of a confidential nature of the client which it comes to know in its business relationship;

(e) not encourage sales or purchases of securities with the sole object of generating brokerage or commission;

(f) not furnish false or misleading quotations or give any other false or misleading advice or information to the clients in an attempt to solicit business in particular securities and enabling itself to earn brokerage or commission thereby; and

(g) not deal or transact business knowingly, directly or indirectly or execute an order for a client who has failed to carry out its commitments in relation to securities with another stock-broker.

Conflict of interest.

38. (1) A stock broker, when dealing with a client, shall ensure that no conflict of interest arises between it and the client.

(2) In the event of a conflict of interest, it shall disclose the conflict to the client accordingly and shall not seek to gain a direct or indirect personal advantage from the situation.

(3) A stock broker shall not consider clients' interest inferior to its own.

Duty as an underwriter.

39. A stock broker while acting as an underwriter shall undertake the following additional duties–

(a) make all efforts to protect the interests of its clients;

(b) ensure that it and its personnel acts in an ethical manner in all its dealings with a body corporate making an issue of securities (hereinafter referred to in this chapter as "the issuer");

(c) not make any statement, either oral or written, which would misrepresent–

(i) the services that the underwriter is capable of performing for its client, or has rendered to any other issuer company;

(ii) its underwriting commitment;

(d) avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest;

(e) put in place a mechanism to identify, disclose and resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner;

(f) not divulge to other issuer, press or any party any confidential information about its issuer company, which has come to its knowledge;

(g) not deal in securities of any issuer company without making disclosure to the Board and also to the Board of directors of the issuer company;

(h) ensure that any change in registration status or any penal action taken by the Board or any material change in financials (which may adversely affect the interests of clients or investors) is promptly informed to the clients;

(i) Upon happening of any event under clause (h), ensure that any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients or investors;

(j) not indulge in any unfair competition, which is likely to be harmful to the interest of other entities acting as underwriters carrying on the business of underwriting or likely to place such other underwriters in a disadvantageous position in relation to the underwriter while competing for, or carrying out any assignment;

(k) not be party to or instrumental for–

(i) creation of false market;

(ii) price rigging or manipulation; or

(iii) passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed or proposed to be listed in any recognised stock exchange to any person or intermediary.

CHAPTER IX

PAYMENT OF FEES BY STOCK BROKERS/ CLEARING MEMBERS/ SELF- CLEARING MEMBERS

Applicability.

40. (1) This chapter shall apply to every stock broker who deals in cash segment and every clearing member/ self-clearing member who clears and settles trades in cash segment, from the date of grant of registration.

(2) This chapter shall apply to every stock broker who deals in commodity derivatives and every clearing member/ self-clearing member who clears and settles trades in commodity derivatives, from the date of grant of registration.

(3) This chapter shall apply to every stock broker who deals in electronic gold receipt segment and every clearing member / self-clearing member who clears and settles trades in electronic gold receipt segment, from the date of grant of registration.

Charge of fees.

41. (1) Every stock broker / clearing member/self-clearing member shall pay to the Board in accordance with regulation 42, regulation 43, regulation 44, regulation 45 and regulation 46, a fee in respect of the securities transactions including off-market transactions undertaken by them, at the rates mentioned below:

Segment	Rate / Amount (in Rs.)			Remarks
	Stock broker	Clearing member	Self-clearing member	
Cash	0.00010 per cent	*	*	All sale and purchase transactions in securities

	of its turnover (Rs. 10 per crore)			other than debt securities.
Equity derivatives	0.00010 per cent of its turnover (Rs. 10 per crore)	50,000/-	50,000/-	Explanation. —(A) The expression 'turnover' shall include the value of the trades executed by the stock broker on the concerned segment of the recognized stock exchange and of the trades settled on the expiration of the contracts. (B) In case of options contracts, 'turnover' shall be computed on the basis of premium traded for the option contracts and in case where the option is exercised or assigned, it shall be additionally computed on the basis of notional value of option contracts exercised or assigned.
Currency derivatives	0.00010 per cent of its turnover (Rs. 10 per crore)	50,000/-	50,000/-	
Interest rate derivatives	0.00005 per cent of its turnover (Rs. 5 per crore)	50,000/-	50,000/-	
Commodity derivatives **Agricultural commodity derivatives**	0.00010 per cent of its turnover (Rs. 10 per crore) 0.00001 per cent of its turnover (Rs. 1 per crore)	50,000/-	50,000/-	Explanation. — (A) The expression 'turnover' shall include the value of the trades executed by the stock broker on the concerned recognized stock exchange and of the trades settled on the expiration of the contracts. (B) In case of options contracts, 'turnover' shall be computed on the basis of premium traded for the option contracts and in case where the option is exercised or assigned, it shall be additionally computed on the basis of notional value of option contracts exercised or assigned.
Debt	0.00002 per cent of its turnover (Rs. 2 per crore)	50,000/-	50,000/-	The fee shall not be applicable for clearing member or self-

	Explanation. — For the purpose of this clause, the expression 'turnover' shall include the aggregate value of the trades executed, including both sale and purchase transactions, by the stock broker including the proprietary trading member on the debts segment of the recognized stock exchange.			clearing member in case the said clearing member or self-clearing member is already a clearing member or self-clearing member in any other segment and is paying fee, as specified in this Part, for such segment.
Electronic Gold Receipt Segment	0.00010 percent of turnover (Rs.10 per crore)	*	*	All sale and purchase transactions in Electronic Gold Receipt.
Execution Only Platforms	*	*	*	

*As may be specified by the Board.

(2) A clearing member/ self-clearing member shall pay a fee of Rs.50,000 every year till its registration is in force, in the manner specified below–

(a) for the first financial year along with the application for registration;

(b) for the subsequent financial years before 1st June of that financial year.

(3) The non-refundable fee payable along with an application for registration under regulation 4 shall be a sum of fifty thousand rupees.

(4) Such fee shall be payable by the applicant by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway.

Manner of payment and recovery

42. (1) Every recognized stock exchange, in accordance with the provisions of its bye-laws, shall collect from every stock broker in cash segment, the fee payable under regulation 41 in respect of –

(a) securities transactions entered into by it in that recognised stock exchange; and

(b) off-market transactions entered into by it which are reported to that recognised stock exchange.

Explanation. – The Board may specify the manner in which fees shall be collected from stock brokers who report the same transactions to different stock exchanges in which they are members, under clause (b).

(2) Every recognized stock exchange shall collect from every stock broker in any segment other than cash segment, the fee payable under regulation 41 in respect of turnover in the relevant segment of that recognised stock exchange in accordance with the provisions of its bye-laws.

(3) Every commodity derivatives exchange shall collect from every stock broker/clearing member/self-clearing member, dealing/clearing and settling trades in commodity derivatives, the fee payable under regulation 41(1) in accordance with the provisions of its bye-laws.

(4) The fee collected by a recognized stock exchange under sub-regulations (1), (2) or (3) during a calendar month shall be paid by the stock exchange to the Board by the fifth working day of the following calendar month.

(5) All recognized stock exchanges shall maintain such registers and furnish such returns or information to the Board in respect of the fee collected under this chapter, as may be specified by the Board.

(6) Without prejudice to sub-regulation (5), a recognized stock exchange shall also be liable to furnish such information or explanations to the Board as may be required by it in respect of fee collected or liable to be collected under this chapter.

43. A stock broker who also acts as a clearing member or self-clearing member shall pay the annual fee separately, as applicable to each category as specified in regulation 41, by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway.

44. (1) Nothing contained in regulation 42 shall affect the primary liability of a stock broker or clearing member or self-clearing member to pay the fees under regulation 41 or shall preclude the Board from recovering any such fee remaining unpaid by any stock broker or clearing member or self-clearing member directly from it.

(2) Where due to the stock broker's or clearing member's or self-clearing member's default any fee which was liable to be paid on its behalf under regulation 42 remains unpaid or is paid belatedly, he shall, without prejudice to any other action that may be taken under the Act, rules or regulations, pay an interest of 1 per cent per month for every month of delay or part thereof to the Board.

(3) Every stock broker or clearing member or self-clearing member shall be liable to furnish such information or explanations to the Board as may be required by it in respect of fee paid or payable under this chapter.

45. The financial year shall mean the year commencing from 1st April and ending on 31st March of the following year.

46. For the purposes of regulation 42, regulation 43, regulation 44, and regulation 45, the obligations cast on recognised stock exchange and stock broker shall, mutatis mutandis, apply to clearing corporation and clearing member or self-clearing member also.

CHAPTER X

NETWORTH AND DEPOSIT REQUIREMENTS FOR STOCK BROKERS/ CLEARING MEMBERS/ SELF- CLEARING MEMBERS

47. (1) The trading member/clearing member/self-clearing member/professional clearing member shall comply with the following minimum networth requirements.

NETWORTH FOR MEMBERS DEALING IN SECURITIES

Type of Member	Base Networth (in Rs.)	Variable Networth#
Trading Member	1 crore	As specified.
Self-Clearing Member	5 crore*	
Clearing Member	15 crore*	
Professional Clearing Member	50 crore	

* In Currency Derivative Segment, Self-Clearing Member and Clearing Member shall have minimum networth of Rs. 5 crore and Rs. 10 crore, respectively.

Networth requirement for members shall be Base Networth or Variable Networth, whichever is higher.

However, the requirement of Variable Networth shall not be applicable for Execution Only Platforms segment.

(2) The quantum of networth to be maintained by the stock broker/clearing member, shall be reckoned for all segments/recognised stock exchanges.

Explanation 1:

(a) For the purposes of this chapter, 'base networth' means paid up capital, fully, compulsorily and mandatorily convertible debentures / bonds / warrants (which are convertible within a period of 5 years from the date of issue), free reserves and other securities approved by the Board from time to time, but shall not include fixed assets, pledged securities, value of member's card, non-allowable securities (unlisted securities), bad deliveries, any debts and advances (except trade debtors of less than 3 months), prepaid expenses, losses, intangible assets and 30% value of marketable securities.

(b) In case of securities pledged to clearing corporation, the post haircut value of shares owned by the Trading Member / Clearing Member, as may be specified, shall be considered for computation of the networth.

(c) Where the stock broker, clearing member or self-clearing member in the debt segment, is also regulated by a sectoral regulator other than the Board, the networth shall be computed in the manner as specified by such sectoral regulator or as specified by the Board, whichever is higher.

Explanation 2: For the purposes of this chapter, free reserves shall include Profit and Loss, General Reserve, Securities Premium, Preference Share Redemption Reserve and Capital Redemption Reserve, but shall not include reserves created by revaluation of assets.

DEPOSIT REQUIREMENTS FOR STOCK BROKERS/ CLEARING MEMBERS

48. (1) The stock broker/clearing member shall comply with the following minimum deposit requirements.

DEPOSIT FOR MEMBERS DEALING IN SECURITIES

Segment		Trading member (in Rs.)	Clearing member (in Rs.)	Self-clearing member (in Rs.)
Cash		*	*	*
Equity Derivatives		*	50 Lakh	50 Lakh
Currency Derivatives		*	50 Lakh	50 Lakh
Debt		*	*	*
Commodity Derivatives	**NCDE**	Nil	50 Lakh	50 Lakh
	RCDE	Nil	*	*
Electronic Gold Receipts		*	1 crore	1 crore
Execution Only Platforms		*	*	*

NCDE: National Commodity Derivatives Exchanges

RCDE: Regional Commodity Derivatives Exchanges

*As may be specified.

(2) Trading member/clearing member/self-clearing member shall maintain the deposit with the recognised stock exchange/clearing corporation.

Explanation:

The deposit requirement specified for the debt segment shall not be applicable when a clearing member clears and settles all the trades only on gross basis for both securities and funds, without using settlement or trade guarantee fund.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

Power to remove difficulties

49. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars or guidelines.

Power to specify procedures, etc. and issue clarifications

50. For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Board may specify norms, procedures, processes, manners or guidelines as specified in these regulations, by way of circular.

Repeal and Savings

51. (1) On and from the commencement of these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal–

(a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration or approval granted, fees collected, registration or approval, suspended or cancelled, inspection, any adjudication, any enquiry or investigation commenced or show cause notice issued under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;

(b) any application made to the Board under the repealed regulations, prior to such repeal, and pending before it shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these regulations;

(c) the previous operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty incurred in respect of any violation committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations has never been repealed.

(3) After the repeal of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, any reference thereto in any other regulations, guidelines or circulars issued thereunder by the Board shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./594/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA